



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

खण्ड 75] प्रयागराज, शनिवार, 24 अप्रैल, 2021 ई० (बैशाख 4, 1943 शक संवत्) [संख्या 17

विषय-सूची

हर भाग के पन्ने अलग-अलग किये गये हैं, जिससे इनके अलग-अलग खण्ड बन सके।

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा	विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य		रु०			रु०
भाग 1—विज्ञप्ति—अवकाश, नियुक्ति, स्थान—नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस	405—420	3075	भाग 4—निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश	..	975
भाग 1—क—नियम, कार्य-विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया	483—490	1500	भाग 5—एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तर प्रदेश	..	975
भाग 1—ख (1) औद्योगिक न्यायाधिकरणों के अभिनिर्णय			भाग 6—(क) बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत किये जाने से पहले प्रकाशित किये गये		975
भाग 1—ख (2)—श्रम न्यायालयों के अभिनिर्णय			(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 2—आज्ञायें, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों का उद्धरण	..	975	भाग 6—क—भारतीय संसद के ऐक्ट		975
भाग 3—स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़पत्र, खण्ड क—नगरपालिका परिषद्, खण्ड ख—नगर पंचायत, खण्ड ग—निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड घ—जिला पंचायत	..	975	भाग 7—(क) बिल, जो राज्य की धारा सभाओं में प्रस्तुत किये जाने के पहले प्रकाशित किये गये		
			(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
			भाग 7—क—उत्तर प्रदेशीय धारा सभाओं के ऐक्ट		975
			भाग 7—ख—इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	..	
			भाग 8—सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गाटों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आँकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आँकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि	463—468	975
			स्टोर्स—पंचैज विभाग का क्रोड़ पत्र	4—8	1425

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस।

विधान परिषद् सचिवालय, उत्तर प्रदेश

सेवानिवृत्ति

31 मार्च, 2021 ई०

सं० 693 (अधिष्ठान) वि०प०-267/84—उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालय की विज्ञप्ति/सेवानिवृत्ति आदेश संख्या 671/(अधि०) वि०प०-267/84, दिनांक 22 मई, 2020 के क्रम में श्रीमती मीना गौतम, शोध अधिकारी, विधान परिषद् उत्तर प्रदेश अपनी 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु पूर्ण करने के पश्चात् दिनांक 31 मार्च, 2021 के अपरान्ह से सेवानिवृत्त हो गयी।

आज्ञा से,
डा० राजेश सिंह,
प्रमुख सचिव।

राज्य कर विभाग

अनुभाग-1

नियुक्ति

25 मार्च, 2021 ई०

सं० रा०क०-331/11-2021-34/2020—लोक सेवा आयोग, उ०प्र० की सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य चयन/विशेष चयन) परीक्षा, 2018 के परिणाम के आधार पर संस्तुत निम्न अभ्यर्थियों को असिस्टेंट कमिश्नर, वाणिज्य कर के पद पर वेतनमान रु० 15,600-39,100 (ग्रेड वेतन रु० 5,400) पर नियुक्त किया जाता है—

क्र०सं०	नाम	पिता का नाम	स्थायी पता	लोक सेवा आयोग की मेरिट सूची क्रमांक
1	2	3	4	5
	सर्वश्री/सुश्री—	सर्वश्री—		
1	दुष्यन्त घिल्डियाल	जे०सी० घिल्डियाल	48/5, Circular Road, Ekta Colony, Dehradun, Uttaranchal 248001.	12
2	रावी सिंह	महेन्द्र नाथ सिंह	House No. 1/780, Sector-H, Jankipuram, Lucknow, Uttar Pradesh 226021.	14
3	कावेरी सिंह	राजेन्द्र सिंह राजपूत	P-214, HIG Duplex, Sector-12, Pratap Vihar, Ghaziabad, Uttar Pradesh 201009.	30
4	प्रिया गर्ग	प्रमोद कुमार गर्ग	A-401, Rohtas Hamptons Court Apartments, Lucknow, Uttar Pradesh 226012.	33

1	2	3	4	5
	सर्वश्री/सुश्री-	सर्वश्री-		
5	सुषमा सागर	रमेश चन्द्र सागर	527 A, Om Nagar, Dayal Bagh, Agra, Uttar Pradesh 282005.	40
6	अनुभव उपमन्यु	वीरेन्द्र कुमार शर्मा	62, Shrichaitanya Dham Colony, Near PWD Inspection House, Aligarh Road, Hathras, U.P. 204101.	09
7	अंकित सिंह	राम नयन सिंह	Vill.-Kurenthu, Post-Gaurabadshahpur, Dist.-Jaunpur, U.P. 222133.	19
8	शशि प्रभा गौतम	जगत राज	H. No.-174 Mohalla Nehdaura, Gram Nehdaura, Thana Majhagawah, Tahsil Rath, Hamirpur, U.P. 210430	39
9	आशीष कुमार	लक्ष्मी चंद	679, Second floor Sector-2, Rajendra Nagar, Ghaziabad, U.P. 201005.	43

उपरोक्त अभ्यर्थियों को असिस्टेंट कमिश्नर, वाणिज्य कर के पद पर वेतनमान रु0 15,600-39,100 (ग्रेड वेतन रु0 5,400) में निम्नलिखित शर्तों के अधीन नियुक्त किया जाता है—

(1) अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा तथा परिवीक्षा अवधि संतोषजनक रूप से पूर्ण करने के उपरान्त उनका स्थाईकरण सुसंगत नियमों के अन्तर्गत यथासमय किया जायेगा। उनकी ज्येष्ठता उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 (अद्यावधिक संशोधन सहित) के संसुगत नियमों के अनुसार आयोग द्वारा तैयार की गयी ज्येष्ठता सूची के आधार पर निर्धारित की जायेगी एवं असिस्टेंट कमिश्नर संवर्ग में अन्य अधिकारियों के साथ ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।

(2) अभ्यर्थी की सेवायें उ0प्र0 बिक्रीकर सेवा नियमावली, 1983 (यथासंशोधित) तथा अन्य समस्त सेवा शर्तें भी उन पर लागू होंगी, जो समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित की जायेंगी।

2—अभ्यर्थी को यह आदेशित किया जाता है कि वह इस आदेश की प्राप्ति पर निम्नलिखित सूचनायें/प्रमाण-पत्र शासन के राज्य कर अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन एवं कमिश्नर, वाणिज्यकर, उ0प्र0, लखनऊ को प्रस्तुत करें :

- (क) केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अन्तर्गत अब तक की गयी सेवा के सम्बन्ध में घोषणा।
- (ख) अपने कर्जदार न होने की घोषणा।
- (ग) एक से अधिक पति/पत्नी न होने की घोषणा।
- (घ) समस्त चल एवं अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित घोषणा, जिसके वे स्थायी सदस्य हों।
- (ङ) संलग्न प्रपत्र में अपने निजी विवरण।
- (च) राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित पासपोर्ट साइज में एक नवीनतम फोटोग्राफ।
- (छ) राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र सम्बन्धी दो नवीनतम प्रमाण-पत्र।
- (ज) इण्डियन आफिसियल सिक्रेट्स ऐक्ट, 1923 के प्राविधानों को पढ़े जाने के सम्बन्ध में घोषणा।

3—अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक होने की दशा में इस आदेश की प्राप्ति के एक माह के भीतर ऊपर प्रस्तर-2 में अपेक्षित सूचनाओं/प्रमाण-पत्रों सहित कार्यभार ग्रहण करने हेतु कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0, लखनऊ के समक्ष अपनी योगदान रिपोर्ट प्रस्तुत करें तथा प्रस्तर-2 में अपेक्षित सूचनाओं/प्रमाण-पत्रों की एक-एक प्रति शासन के राज्य कर अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन को भी उपलब्ध करा दी जाये। तैनाती के स्थान

की सूचना कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा उनके कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त दी जायेगी। यदि एक माह के भीतर वह कार्यभार ग्रहण करने हेतु कमिश्नर, वाणिज्य कर के समक्ष उपस्थित नहीं होते हैं तो यह समझा जायेगा कि वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिये इच्छुक नहीं हैं और तदनुसार उनके नियुक्ति/अभ्यर्थन को निरस्त करने के सम्बन्ध में आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

4-अभ्यर्थी की उक्त नियुक्ति इस शर्त के अधीन है कि यदि पुलिस सत्यापन रिपोर्ट में कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञान में आता है तो इनकी नियुक्ति/अभ्यर्थन निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

आज्ञा से,
संजीव मित्तल,
अपर मुख्य सचिव।

राज्य योजना आयोग-2

नियोजन विभाग

प्रोन्नति

31 मार्च, 2021 ई0

सं0 (697/21) 1/11/35-आ0-2/2016-17-विभागीय चयन समिति की संस्तुति के आधार पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से श्रीमती गीता देवी, वैयक्तिक सहायक की निजी सचिव (श्रेणी-दो) पे-मैट्रिक्स लेवल-7 रु0 44,900-1,42,400 के पद पर नियमित रूप से पदोन्नत किया जाता है।

आज्ञा से,
विवेक,
विशेष सचिव।

प्राविधिक शिक्षा विभाग

अनुभाग-2

नियुक्ति

01 अप्रैल, 2021 ई0

सं0 573/सोलह-2-2021-प्राविधिक शिक्षा विभाग (डिप्लोमा सेक्टर), उ0प्र0 के अन्तर्गत राजकीय पालीटेक्निक, उ0प्र0 में प्रवक्ता आटो अभियंत्रण के पदों पर सीधी भर्ती द्वारा नियमित चयन के फलस्वरूप लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 की संस्तुति के आधार पर श्री राज्यपाल, निम्नलिखित अभ्यर्थियों को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रवक्ता आटो अभियंत्रण के पद पर वेतनमान रु0 15,600-39,100, ग्रेड वेतन रु0 5,400 में अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुये उनके नाम के सम्मुख अंकित तालिका के स्तम्भ-4 में अंकित संस्था में तैनात किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

क्र0सं0	अभ्यर्थी का नाम/ पिता का नाम	गृह जनपद	तैनाती की संस्था
1	2	3	4
1	सुश्री निशा शर्मा पुत्री श्री गया प्रसाद	मथुरा	राजकीय पालीटेक्निक, मोहम्मदपुर, बहराइच।
2	श्री दुर्गेश सिंह भदौरिया पुत्र श्री राम सिंह भदौरिया	कानपुर देहात	राजकीय पालीटेक्निक, राजगढ़, मिर्जापुर।
3	श्री अंकुर वर्मा पुत्र श्री योगेश वर्मा	मेरठ	राजकीय पालीटेक्निक, चोपन, सोनभद्र।

1	2	3	4
4	श्री सतीश नामदेव पुत्र श्री हर गोविन्द नामदेव	झाँसी	राजकीय पालीटेक्निक, आदमपुर, तरबगंज, गोण्डा।

2—सम्बन्धित अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उक्त वेतनमान के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते भी देय होंगे।

3—सम्बन्धित अभ्यर्थियों को यह भी निर्देशित किया जाता है कि वे अपना कार्यभार इस आदेश के निर्गत होने के दिनांक से एक माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लें अन्यथा उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी। कार्यभार ग्रहण करने हेतु सम्बन्धित अभ्यर्थियों को किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

4—सम्बन्धित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता सुसंगत नियमावली के प्राविधानों के अनुरूप बाद में निर्धारित की जायेगी।

5—उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से सम्बन्धित अभ्यर्थी को 02 वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रहेंगे।

आज्ञा से,
सुनील कुमार चौधरी,
विशेष सचिव।

संस्कृति विभाग

अधिसूचना

23 मार्च, 2021 ई0

सं0 727 / चार-2021 / 2021—उत्तर प्रदेश प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थानों और अवशेषों का परिरक्षण अधिनियम, 1956 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7, सन् 1957) की धारा-3 के साथ पठित प्राचीन स्मारक परिरक्षण अधिनियम, 1904 (अधिनियम संख्या 7, सन् 1904) की धारा-3 की उपधारा (3) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल की अधिसूचना संख्या 542 / चार-2020 लखनऊ, दिनांक 25 फरवरी, 2020 की पुष्टि करते हैं—

अनुसूची

क्र0 सं0	राज्य	जिला	तहसील और ग्राम	स्मारक/ स्थान का नाम	संरक्षण के अधीन लिये जाने वाली राजस्व गाटा संख्याएं	क्षेत्रफल एकड़/ हेक्टेयर में	सीमायें
1	2	3	4	5	6	7	8
1	उत्तर प्रदेश	ललितपुर	ग्राम-देवगढ़ (डॉंग सरकार) तहसील- बालाबेहट	गुफा मन्दिर देवगढ़	प्राप्त राजस्व अभिलेख में गाटा सं0 ना होने की पुष्टि तहसीलदार ललितपुर द्वारा की गयी है	गुफा मन्दिर क्षेत्र	पश्चिम एवं दक्षिण में उत्तर एवं पूर्व में ललितपुर मार्ग

आज्ञा से,
मुकेश कुमार मेश्राम,
प्रमुख सचिव।

The Governor is pleased to order the following English translation of Notification no. 542/Four-2020 Lucknow, dated, February 25, 2020 for general information :

No. 727/Four-2021/2021

March 23, 2021

In exercise of the powers under sub-section (3) of the section 3 of the Ancient Monuments Preservation Act, 1904 (Act no. VII of 1904), as re-enacted by section 3 of the U. P. Ancient and Historical Monuments and Archaeological sites and Remains Preservation Act, 1956. (U. P. Act no. VII of 1957), the Governor is pleased to declare the ancient monuments/sites specified in the schedule below to be the protected monuments within the meaning the said Act :

SCHEDULE

Sl. no.	State	District	Tahsil and Village	Name of the Monument sites	Revenue plots to be taken under protection	Area in Acres/ Hectare	Boundries
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Uttar Pradesh.	Lalitpur	Vill.- Devgarh (Dang Sarkar) Tahsil- Balabehat.	Cave Temple, Devgarh.	The Revenue records received have confirmed no gata number by Tehsildar- Lalitpur.	Area of Cave Temple.	Betwa river in west and south Devgarh Lilitpur road in North and East.

By order,
MUKESH KUMAR MESHRAM,
Principal Secretary.

अधिसूचना

23 मार्च, 2021 ई०

सं० 730/चार-2021/2021—उत्तर प्रदेश प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थानों और अवशेषों का परिरक्षण अधिनियम, 1956 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7, सन् 1957) की धारा-3 के साथ पठित प्राचीन स्मारक परिरक्षण अधिनियम, 1904 (अधिनियम संख्या 7, सन् 1904) की धारा-3 की उपधारा (3) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल की अधिसूचना संख्या 823/चार-2020 लखनऊ, दिनांक 18 अगस्त, 2020 की पुष्टि करते हैं—

अनुसूची

क्र० सं०	राज्य	जिला	तहसील और ग्राम	स्मारक/स्थान का नाम	संरक्षण के अधीन लिये जाने वाली राजस्व गाटा संख्याएं	क्षेत्रफल	सीमायें
1	2	3	4	5	6	7	8
1	उत्तर प्रदेश	आजमगढ़	तहसील-मार्टिनगंज, ग्राम-देहदुआर	प्राचीन टीला (कोट)	गाटा सं० 460 एवं 461	हेक्टेयर 1.535 1.619 3.154	पूर्व-आबादी एवं देहदुआर मार्ग उत्तर-आबादी एवं गाटा संख्या 547 दक्षिण-आबादी एवं गाटा संख्या 554, 557 एवं 558/616

आज्ञा से,
मुकेश कुमार मेश्राम,
प्रमुख सचिव।

The Governor is pleased to order the following English translation of Notification no. 823/Four-2020 Lucknow, dated, August 31, 2020 for general information :

No. 730/Four-2021/2021

March 23, 2021

In exercise of the powers under sub-section (3) of the section 3 of the Ancient Monuments Preservation Act, 1904 (Act no. VII of 1904), as re-enacted by section 3 of the U. P. Ancient and Historical Monuments and Archaeological sites and Remains Preservation Act, 1956. (U. P. Act no. VII of 1957), the Governor is pleased to declare the ancient monuments/sites specified in the schedule below to be the protected monuments within the meaning the said Act :

SCHEDULE

Sl. no.	State	District	Tahsil and Village	Name of the Monument sites	Revenue plots to be taken under protection	Area in Acres/Hectare	Boundries
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Uttar Pradesh.	Azamgarh	Tahsil-Martinganj, Vill.-Dehduwar.	Old Tila (Kott)	Gata no. 460 and 461.	1.535 H 1.619 H 3.154 H	East-Aabadi West-Aabadi and Dehduwar Road North-Aabadi and gata no. 547 South-Aabadi and Gata nos. 554, 557 and 558/616.

By order,
MUKESH KUMAR MESHARAM,
Principal Secretary.

अधिसूचना

23 मार्च, 2021 ई0

सं0 731/चार-2021/2021-उत्तर प्रदेश प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थानों और अवशेषों का परिरक्षण अधिनियम, 1956 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7, सन् 1957) की धारा-3 के साथ पठित प्राचीन संस्मारक परिरक्षण अधिनियम, 1904 (अधिनियम संख्या 7, सन् 1904) की धारा-3 की उपधारा (3) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल की अधिसूचना संख्या 1906/चार-2019 लखनऊ, दिनांक 31 जनवरी, 2020 की पुष्टि करते हैं—

अनुसूची

क्र0 सं0	राज्य	जिला	तहसील और ग्राम	स्मारक/ स्थान का नाम	संरक्षण के अधीन लिये जाने वाली राजस्व गाटा संख्या	क्षेत्रफल	सीमायें
1	2	3	4	5	6	7	8
						हेक्टेयर	
1	उत्तर प्रदेश	मथुरा	तहसील-छाता, ग्राम-कोटवन	छतरी एवं सरोवर	362	0.9260	पूर्व-राजकीय पालीटेक्निक, कोटवन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग-2, पश्चिम-आबादी कोटवन, उत्तर-रास्ता, दक्षिण-पक्की सड़क, कोटवन एवं प्राथमिक विद्यालय, कोटवन
2	उत्तर प्रदेश	मथुरा	तहसील-छाता, ग्राम-कोटवन	सीताराम महल	506-मि0 370 390	6.514 0.8820 0.4330	पूर्व-पक्की सड़क एवं आबादी, पश्चिम-आबादी कोटवन, उत्तर- आबादी कोटवन, दक्षिण-पक्की सड़क एवं आबादी कोटवन
3	उत्तर प्रदेश	हमीरपुर	ग्राम- करियारी, विकास खण्ड- सरीला, तहसील- सरीला	चन्देलमढ़ करियारी	975	0.30	पूर्व-गाटा सं0 976, पश्चिम-गाटा सं0 974, उत्तर-गाटा सं0 976, दक्षिण-गाटा सं0 976 व 977
4	उत्तर प्रदेश	हमीरपुर	ग्राम-खण्डेह, विकास खण्ड व तहसील- मौदहा	खण्डेह के मन्दिर 1-शिव मन्दिर 2-राम जानकी मन्दिर	898 938	0.096 0.100	पूर्व-चबूतरा एवं गाटा सं0 897 एवं सड़क, पश्चिम-तालाब, उत्तर-गाटा सं0 896, दक्षिण-सड़क एवं आबादी। पूर्व-रास्ता पक्की सड़क, पश्चिम-श्री वीणा देव विद्यालय, उत्तर-सड़क एवं मुख्य आबादी, दक्षिण-यू0पी0 ग्रामीण बैंक एवं कलार तालाब।

आज्ञा से,
मुकेश कुमार मेश्राम,
प्रमुख सचिव।

The Governor is pleased to order the following English translation of Notification no. 1906/Four-2020 Lucknow, dated, January 31, 2020 for general information :

No. 731/Four-2021/2021

March 23, 2021

In exercise of the powers under sub-section (3) of the section 3 of the Ancient Monuments Preservation Act, 1904 (Act no. VII of 1904), as re-enacted by section 3 of the U. P. Ancient and Historical Monuments and Archaeological sites and Remains Preservation Act, 1956. (U. P. Act no. VII of 1957), the Governor is pleased to declare the ancient monuments/sites specified in the schedule below to be the protected monuments within the meaning the said Act :

SCHEDULE

Sl. no.	State	District	Tahsil and Village	Name of the Monument sites	Revenue plots to be taken under protection	Area in Acres/ Hectare	Boundries
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Uttar Pradesh.	Mathura	Tahsil-Chata, Vill.-Kotvan.	Chhatri and Sarowar	362	0.9260 H	East-Govt. Polytechnic Kotvan and NH-2. West-Abadi, Kotvan. North- Road. South-Pakki Road Kotvan and Praymari School, Kotvan.
2	Uttar Pradesh.	Mathura	Tahsil-Chata, Vill.-Kotvan.	Sitaram ka Mahal	506-mi 370 390	6.514 H 0.8820 H 0.4330 H	East-Pakki Road and Abadi. West-Abadi, Kotvan. North-Abadi, Kotvan. South-Pakki Road and Abadi Kotvan.
3	Uttar Pradesh.	Hamirpur	Vill.-Kariyari, Block-Sarila Tahsil-Sarila.	Chandelamarh Kariyari	975	0.30 H	East-Gata no. 976. West-Gata no. 974. North-Gata no. 976. South-Gata no. 976 and 977.
4	Uttar Pradesh.	Hamirpur	Vill.-Khandeh, Block and Tahsil-Moudaha.	Temple of Khandeh 1-Shiva Temple. 2-Ramjanki Temple.	898 938	0.096 H 0.100 H	East-Chabutara, Gata no. 897 and Road. West-Talab. North-Gata no. 896. South-Road and Abadi. East-Pakki Road. West-Sri Vida Dev School. North-Road and Main Abadi. South-U.P. Gramin Bank and Kalar Talab.

By order,
MUKESH KUMAR MESHRAM,
Principal Secretary.

अधिसूचना

23 मार्च, 2021 ई0

सं0 733/चार-2021/2021—उत्तर प्रदेश प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थानों और अवशेषों का परिरक्षण अधिनियम, 1956 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7, सन् 1957) की धारा-3 के साथ पठित प्राचीन संस्मारक परिरक्षण अधिनियम, 1904 (अधिनियम संख्या 7, सन् 1904) की धारा-3 की उपधारा (3) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल की अधिसूचना संख्या 547/चार-2020 लखनऊ, दिनांक 25 फरवरी, 2020 की पुष्टि करते हैं—

अनुसूची

क्र0 सं0	राज्य	जिला	तहसील और ग्राम	स्मारक/ स्थान का नाम	संरक्षण के अधीन लिये जाने वाली राजस्व गाटा संख्याएं	क्षेत्रफल	सीमायें
1	2	3	4	5	6	7	8
						हेक्टेयर	
1	उत्तर प्रदेश	चित्रकूट	ग्राम-मंझगवा उर्फ राजापुर, तहसील- राजापुर	शिव मंदिर	239	कुल क्षेत्रफल 0.551 (जिसमें मंदिर का क्षेत्रफल 0.22)	पूर्व-यमुना रोड, कस्बा-राजापुर, पश्चिम-गाटा सं0 236, उत्तर-सड़क एवं हनुमान मंदिर, दक्षिण-गाटा सं0 245, 244 एवं 240 तथा शंकर प्रसाद का मकान
2	उत्तर प्रदेश	चित्रकूट	ग्राम-चर, विकास खण्ड व तहसील- मानिकपुर	सोमनाथ का मंदिर	545	4.034	पूर्व-गाटा सं0 545 तथा चरदहा का बार्डर, पश्चिम-गाटा सं0 547, उत्तर-गाटा सं0 544, दक्षिण-गाटा सं0 545 तथा मदना का बार्डर
3	उत्तर प्रदेश	चित्रकूट	ग्राम-रसिन, विकास खण्ड व तहसील- कर्वी	बड़ी भवानी का मंदिर	5737	0.168	पूर्व-गाटा सं0 5495/3, पश्चिम-गाटा सं0 5738, उत्तर-गाटा सं0 5495/1, दक्षिण-गाटा सं0 5846

आज्ञा से,
मुकेश कुमार मेश्राम,
प्रमुख सचिव।

The Governor is pleased to order the following English translation of Notification no. 547/Four-2020 Lucknow, dated, February 25, 2020 for general information :

No. 733/Four-2021

March 23, 2021

In exercise of the powers under sub-section (3) of the section 3 of the Ancient Monuments Preservation Act, 1904 (Act no. VII of 1904), as re-enacted by section 3 of the U. P. Ancient and Historical Monuments and Archaeological sites and Remains Preservation Act, 1956. (U. P. Act no. VII of 1957), the

Governor is pleased to declare the ancient monuments/sites specified in the schedule below to be the protected monuments within the meaning the said Act :

SCHEDULE

Sl. no.	State	District	Tahsil and Village	Name of the Monument sites	Revenue plots to be taken under protection	Area in Acres/Hectare	Boundries
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Uttar Pradesh.	Chitrakut	Vill.- Majhgawan/Rajapur, Tahsil-Rajapur.	Shiv Temple	239	0.551 (Area of the Temple 0.22 Hectare)	East-Yamuna Road, Rajapur Town. West-Gata no. 236. North- Road and Hanuman Temple. South-Gata no. 245, 244, 240 and House of Shankar Prasad.
2	Uttar Pradesh.	Chitrakut	Vill.-Char, Block and Tahsil-Manikpur.	Somnath Temple	545	4.034 Hectare	East-Gata no. 545 and Bordar of Chardaha. West-Gata no. 547. North-Gata no. 544. South-Gata no. 545 and Bordar of Madna.
3	Uttar Pradesh.	Chitrakut	Vill.- Rasin, Block and Tahsil-Karvi.	Badi Bhawani Temple	5737	0.168 Hectare	East-Gata no. 5495/3. West-Gata no. 5738. North-Gata no. 5495/1. South-Gata no. 5846.

By order,
MUKESH KUMAR MESHRAM,
Principal Secretary.

अधिसूचना

23 मार्च, 2021 ई०

सं० 734/चार-2021/2021-उत्तर प्रदेश प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थानों और अवशेषों का परिरक्षण अधिनियम, 1956 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7, सन् 1957) की धारा-3 के साथ पठित प्राचीन संस्मारक परिरक्षण अधिनियम, 1904 (अधिनियम संख्या 7, सन् 1904) की धारा-3 की उपधारा (3) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल की अधिसूचना संख्या 543/चार-2020 लखनऊ, दिनांक 25 फरवरी, 2020 की पुष्टि करते हैं-

अनुसूची

क्र० सं०	राज्य	जिला	तहसील और ग्राम	स्मारक/स्थान का नाम	संरक्षण के अधीन लिये जाने वाली राजस्व गाटा संख्याएं	क्षेत्रफल	सीमायें
1	2	3	4	5	6	7	8
						हेक्टेयर	
1	उत्तर प्रदेश	झांसी	तहसील-झांसी, ग्राम-ठकुरपुरा	ठकुरपुरा की गढ़ी	621	0.6320	पूर्व-गाटा सं० 623, पश्चिम-गाटा सं० 618, 619 एवं 620, उत्तर-गाटा सं० 573 एवं 666, दक्षिण-गाटा सं० 618, एवं 623

आज्ञा से,
मुकेश कुमार मेश्राम,
प्रमुख सचिव।

The Governor is pleased to order the following English translation of Notification no. 543/Four-2020 Lucknow, dated, February 25, 2020 for general information :

No. 734/Four-2021/2021

March 23, 2021

In exercise of the powers under sub-section (3) of the section 3 of the Ancient Monuments Preservation Act, 1904 (Act no. VII of 1904), as re-enacted by section 3 of the U. P. Ancient and Historical Monuments and Archaeological sites and Remains Preservation Act, 1956. (U. P. Act no. VII of 1957), the Governor is pleased to declare the ancient monuments/sites specified in the schedule below to be the protected monuments within the meaning the said Act :

SCHEDULE

Sl. no.	State	District	Tahsil and Village	Name of the Monument sites	Revenue plots to be taken under protection	Area in Acres/Hectare	Boundries
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Uttar Pradesh.	Jhansi	Vill.- Thakurpura, Tahsil-Jhansi.	Thakurpura ki Garhi.	621	0.6320 Hectare	East-Gata no. 623. West-Gata no. 618, 619 and 620. North-Gata no. 573 and 666. South-Gata no. 618 and 623.

By order,
MUKESH KUMAR MESHARAM,
Principal Secretary.

अधिसूचना

23 मार्च, 2021 ई०

सं० 735/चार-2021/2021—उत्तर प्रदेश प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थानों और अवशेषों का परिरक्षण अधिनियम, 1956 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7, सन् 1957) की धारा-3 के साथ पठित प्राचीन संस्मारक परिरक्षण अधिनियम, 1904 (अधिनियम संख्या 7, सन् 1904) की धारा-3 की उपधारा (3) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल की अधिसूचना संख्या 546/चार-2020 लखनऊ, दिनांक 25 फरवरी, 2020 की पुष्टि करते हैं—

अनुसूची

क्र० सं०	राज्य	जिला	तहसील और ग्राम	स्मारक/स्थान का नाम	संरक्षण के अधीन लिये जाने वाली राजस्व गाटा संख्याएं	क्षेत्रफल	सीमायें
1	2	3	4	5	6	7	8
						हेक्टेयर	
1	उत्तर प्रदेश	चित्रकूट	ग्राम-मानिकपुर, तहसील-सरैया	शैलाश्रय	2220/01	4.00	पूर्व-सरहट गांव की सीमा, पश्चिम-गाटा सं० 2220/01, उत्तर-गाटा सं० 2220/01, दक्षिण-सरहट गांव की सीमा

आज्ञा से,
मुकेश कुमार मेश्राम,
प्रमुख सचिव।

The Governor is pleased to order the following English translation of Notification no. 546/Four-2020 Lucknow, dated, February 25, 2020 for general information :

No. 735/Four-2021

March 23, 2021

In exercise of the powers under sub-section (3) of the section 3 of the Ancient Monuments Preservation Act, 1904 (Act no. VII of 1904), as re-enacted by section 3 of the U. P. Ancient and Historical Monuments and Archaeological sites and Remains Preservation Act, 1956. (U. P. Act no. VII of 1957), the Governor is pleased to declare the ancient monuments/sites specified in the schedule below to be the protected monuments within the meaning the said Act :

SCHEDULE

Sl. no.	State	District	Tahsil and Village	Name of the Monument sites	Revenue plots to be taken under protection	Area in Acres/Hectare	Boundries
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Uttar Pradesh.	Chitrakut	Tahsil-Manikpur, Vill.- Saraiya.	Rock Selter	2220/01	4.00	East-Boundary of village Sarhat. West-Gata no. 2220/01. North- Gata no. 2220/01. South-Boundary of village Sarhat.

By order,
MUKESH KUMAR MESHARAM,
Principal Secretary.

अधिसूचना

23 मार्च, 2021 ई०

सं० 736/चार-2021/2021—उत्तर प्रदेश प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थानों और अवशेषों का परिरक्षण अधिनियम, 1956 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7, सन् 1957) की धारा-3 के साथ पठित प्राचीन स्मारक परिरक्षण अधिनियम, 1904 (अधिनियम संख्या 7, सन् 1904) की धारा-3 की उपधारा (3) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल की अधिसूचना संख्या 545/चार-2020 लखनऊ, दिनांक 25 फरवरी, 2020 की पुष्टि करते हैं—

अनुसूची

क्र० सं०	राज्य	जिला	तहसील और ग्राम	स्मारक/स्थान का नाम	संरक्षण के अधीन लिये जाने वाली राजस्व गाटा संख्याएं	क्षेत्रफल	सीमायें
1	2	3	4	5	6	7	8
						हेक्टेयर	
1	उत्तर प्रदेश	फतेहपुर	ग्राम-शिवराजपुर, विकासखण्ड-मलवा, तहसील-बिन्दकी	रसिक बिहारी लाल जी महाराज का मंदिर	158	4.314	पूर्व-गाटा सं० 171, 172, 173, 174 एवं 175, पश्चिम-गाटा सं० 01 एवं 04, उत्तर-शिवराजपुर रहतमाली, दक्षिण-गाटा सं० 153, 509 एवं 157

आज्ञा से,
मुकेश कुमार मेश्राम,
प्रमुख सचिव।

The Governor is pleased to order the following English translation of Notification no. 545/Four-2020 Lucknow, dated, February 25, 2020 for general information :

No. 736/Four-2021/2021

March 23, 2021

In exercise of the powers under sub-section (3) of the section 3 of the Ancient Monuments Preservation Act, 1904 (Act no. VII of 1904), as re-enacted by section 3 of the U. P. Ancient and Historical Monuments and Archaeological sites and Remains Preservation Act, 1956. (U. P. Act no. VII of 1957), the Governor is pleased to declare the ancient monuments/sites specified in the schedule below to be the protected monuments within the meaning the said Act :

SCHEDULE

Sl. no.	State	District	Tahsil and Village	Name of the Monument sites	Revenue plots to be taken under protection	Area in Acres/Hectare	Boundries
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Uttar Pradesh.	Fatehpur	Vill.- Shivrajpur, Block- Malwan, Tahsil- Bindki.	Rasik Bihari Lal ji Maharaj Temple.	158	4.314 Hectare	East-Gata no. 171, 172, 173, 174 and 175. West-Gata no. 01 and 04. North-Shivrajpur Rahatmali. South-Gata no. 153, 509 and 157.

By order,
MUKESH KUMAR MESHRAM,
Principal Secretary.

अधिसूचना

23 मार्च, 2021 ई०

सं० 737/चार-2021/2021—उत्तर प्रदेश प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थानों और अवशेषों का परिरक्षण अधिनियम, 1956 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7, सन् 1957) की धारा-3 के साथ पठित प्राचीन संस्मारक परिरक्षण अधिनियम, 1904 (अधिनियम संख्या 7, सन् 1904) की धारा-3 की उपधारा (3) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल की अधिसूचना संख्या 544/चार-2020 लखनऊ, दिनांक 25 फरवरी, 2020 की पुष्टि करते हैं—

अनुसूची

क्र० सं०	राज्य	जिला	तहसील और ग्राम	स्मारक/स्थान का नाम	संरक्षण के अधीन लिये जाने वाली राजस्व गाटा संख्याएं	क्षेत्रफल	सीमायें
1	2	3	4	5	6	7	8
1	उत्तर प्रदेश	कौशाम्बी	ग्राम-पलहना उपरहार (चायल), तहसील-चायल (मूरतगंज)	शिव मंदिर एवं तालाब	400	हेक्टेयर 2.0430 (कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी कर्मचारी आवास, सी०डी०ओ० कार्यालय को छोड़कर	पूर्व-सी०डी०ओ० आवास व कर्मचारीगण, पश्चिम-वी०डी०ओ० कार्यालय एवं सभागार, उत्तर-गाटा सं० 0397, 0399 एवं 0398, दक्षिण-जनपदीय मार्ग भरवारी

आज्ञा से,
मुकेश कुमार मेश्राम,
प्रमुख सचिव।

The Governor is pleased to order the following English translation of Notification no. 544/Four-2020 Lucknow, dated, February 25, 2020 for general information :

No. 737/Four-2021

March 23, 2021

In exercise of the powers under sub-section (3) of the section 3 of the Ancient Monuments Preservation Act, 1904 (Act no. VII of 1904), as re-enacted by section 3 of the U. P. Ancient and Historical Monuments and Archaeological sites and Remains Preservation Act, 1956. (U. P. Act no. VII of 1957), the Governor is pleased to declare the ancient monuments/sites specified in the schedule below to be the protected monuments within the meaning the said Act :

SCHEDULE

Sl. no.	State	District	Tahsil and Village	Name of the Monument sites	Revenue plots to be taken under protection	Area in Acres/Hectare	Boundries
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Uttar Pradesh.	Kaushambi	Vill.- Palhana uprhar (Chayal), Tahsil-Chayal (Muratganj).	Shiv Temple and Talab.	400	2.0430 Hectare (Exculding C.D.O. Office, Block Development Office and Employees Residence.)	East- C.D.O. Office and Employees Residence. West-B.D.O. Office and Auditorium. North-Gata no. 0397, 0399 and 0398. South-Distt. Road Bharwari.

By order,
MUKESH KUMAR MESHRAM,
Principal Secretary.

सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग

अनुभाग-1

सेवानिवृत्ति (संशोधन)

05 अप्रैल, 2021 ई0

सं0 259/18-1-2021/25 (68) 2003—उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय, उ0प्र0, कानपुर के अन्तर्गत राजपत्रित पदों पर कार्यरत अधिकारियों को सेवानिवृत्त किये जाने की अनुज्ञा प्रदान किये जाने सम्बन्धी विज्ञप्ति संख्या 224/18-1-2020/25 (68) 2003, दिनांक 22 जून, 2020 में आंशिक संशोधन करते हुये निम्नलिखित तालिका के क्रमांक-1 पर अंकित श्री हरिराम राजपूत, पदनाम संयुक्त आयुक्त उद्योग के स्थान पर सहायक आयुक्त उद्योग तथा क्रमांक-3 पर अंकित श्री चन्द्र प्रकाश, सहायक आयुक्त उद्योग को सम्मिलित करते हुये इनकी जन्मतिथि 01 मई, 1961 तथा सेवानिवृत्ति की तिथि 30 अप्रैल, 2021 पढ़ा जाय। सेवानिवृत्ति सम्बन्धी विज्ञप्ति संख्या 224/18-1-2020/25 (68) 2003, दिनांक 22 जून, 2020 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय। शेष शर्तें/आदेश यथावत् रहेगा :

क्र0सं0	अधिकारी का नाम	पदनाम	जन्मतिथि	सेवानिवृत्ति तिथि
1	श्री हरिराम राजपूत	सहायक आयुक्त उद्योग	06-07-1961	31-07-2021
2	श्री सुशीन कुमार शर्मा	सहायक आयुक्त उद्योग	07-09-1961	30-09-2021
3	श्री चन्द्र प्रकाश	सहायक आयुक्त उद्योग	01-05-1961	30-04-2021

आज्ञा से,
नवनीत सहगल,
अपर मुख्य सचिव।

होमगार्ड्स विभाग

प्रोन्नति

31 मार्च, 2021 ई0

सं0 15/2021/680/पन्चानबे-2021-210 होगा/10—उ0प्र0 होमगार्ड्स सेवा नियमावली, 1982 (समूह 'ख') के नियम-5 के अन्तर्गत लोक सेवा आयोग सपरामर्श चयनोन्नति (प्रक्रिया) नियमावली, 1970 (यथासंशोधित) के अधीन उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज की संस्तुति दिनांक 05 फरवरी, 2021 के आधार पर श्री राज्यपाल होमगार्ड्स संगठन के निरीक्षक संवर्ग के अधोअंकित अधिकारी को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से जिला कमाण्डेण्ट होमगार्ड्स सेवा समूह 'ख' श्रेणी के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन रु0 56,100-1,77,500 (मैट्रिक्स का लेवल-10) में अस्थायी रूप से प्रोन्नत किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :

क्र0सं0	ज्येष्ठता क्रमांक	अधिकारी का नाम	चयन वर्ष
		सर्वश्री—	
1	50	ज्ञान प्रकाश	2020-2021
2	51	राजमणि सिंह	2020-2021
3	52	दिनेश कुमार पाण्डेय	2020-2021
4	53	अन्तिम कुमार सिंह	2020-2021
5	55	विन्ध्याचल पाठक	2020-2021

2—सम्बन्धित अधिकारी अग्रिम आदेशों तक अपने तैनाती स्थान पर यथावत बने रहेंगे।

3—उक्त अधिकारी कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर नियुक्त किये माने जायेंगे और परिवीक्षा अवधि की सफल समाप्ति पर उनके स्थायीकरण पर विचार किया जायेगा।

4—उक्त पद के पदधारक को एक जनपद से दूसरे जनपद अथवा जिला कमाण्डेण्ट होमगार्ड्स संवर्ग के समकक्ष पदों पर नियुक्त किया जा सकता है।

5—सम्बन्धित अधिकारी को वेतन एवं समय-समय पर शासन द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ते अनुमन्य होंगे।

आज्ञा से,
अनिल कुमार,
अपर मुख्य सचिव।

पी0एस0यू0पी0—4 हिन्दी गजट—भाग 1—2021 ई0।

मुद्रक एवं प्रकाशक—निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उ0प्र0, प्रयागराज।



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 24 अप्रैल, 2021 ई० (बैशाख 4, 1943 शक संवत्)

भाग 1-क

नियम, कार्य विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया।

**HIGH COURT OF JUDICATURE AT
ALLAHABAD**

March 24, 2021

NOTIFICATION

March 23, 2021

No. 137/Admin.(Services)-2021—Pursuant to U.P. Government Notification/Appointment No. 27/Do-4-2021, dated March 03, 2021, Sri Shikhar Agarwal, candidate of Civil Judge, Junior Division to be Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Lakhimpur Kheri against the Fast Track Court created under the scheme of 14th Finance Commission *vice* Sri Abhay Rajvanshi.

No. 138/Admin.(Services)-2021—Sri Abhay Rajvanshi, Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Lakhimpur Kheri to be Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Lakhimpur Kheri for trying cases of crime against women *vice* Sushri Akanchha Jaiswal.

No. 139 Admin.(Services)-2021—Sushri Akanchha Jaiswal, Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Lakhimpur Kheri to be Additional Civil Judge (Junior Division), Lakhimpur Kheri.

No. 140/Admin.(Services)-2021—Pursuant to Government Notification/Appointment No. 714/II-4-2020, dated January 25, 2021, Sri Santosh Kumar Tripathi, Advocate is appointed as Direct Recruit from the Bar to U.P. Higher Judicial Service U/r 22(1) of U.P.H.J.S. Rules, 1975 and posted as Additional District & Sessions Judge, Mirzapur.

No. 141/Admin.(Services)-2021—Pursuant to Government Notification/Appointment No. 714/II-4-2020, dated January 25, 2021, Sri Vikas Srivastava, Advocate is appointed as Direct Recruit from the Bar to U.P. Higher Judicial Service U/r 22(1) of U.P.H.J.S. Rules, 1975 and posted as Additional District & Sessions Judge, Allahabad.

No. 142/Admin.(Services)-2021—Pursuant to Government Notification/Appointment No. 714/II-4-2020, dated January 25, 2021, Sri Rahul Mishra, Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Sonbhadra appointed in U.P. Higher Judicial Services, 2016 and posted as Additional District & Sessions Judge, Sonbhadra.

No. 143/Admin.(Services)-2021—Pursuant to Government Notification/Appointment No. 714/II-4-2020, dated January 25, 2021, Sri Pawan Kumar Sharma, Advocate is appointed as Direct Recruit from the Bar to U.P. Higher Judicial Service U/r 22(1) of U.P.H.J.S. Rules, 1975 and posted as Additional District & Sessions Judge, Ghaziabad.

No. 144/Admin.(Services)-2021—Pursuant to Government Notification/Appointment No. 714/II-4-2020, dated January 25, 2021, Sushri Shikha Pradhan, Additional District & Sessions Judge, Meerut appointed in U.P. Higher Judicial Services, 2016 and posted as Additional District & Sessions Judge, Meerut.

No. 145/Admin.(Services)-2021—Pursuant to Government Notification/Appointment No. 714/II-4-2020, dated January 25, 2021, Smt. Anu Saxena, Additional Principal Judge, Family Court, Agra appointed in U.P. Higher Judicial Services, 2016 and posted as Additional District & Sessions Judge, Agra.

No. 146/Admin.(Services)-2021—Pursuant to Government Notification/Appointment No. 714/II-4-2020, dated January 25, 2021, Sri Rakesh Patel, Additional District & Sessions Judge, Kanpur Nagar appointed in U.P. Higher Judicial Services, 2016 and posted as Additional District & Sessions Judge, Kanpur Nagar.

No. 147/Admin.(Services)-2021—Pursuant to Government Notification/Appointment No. 714/II-4-2020, dated January 25, 2021, Sri Mohammad Rafi, Additional District & Sessions Judge, Kanpur Nagar appointed in U.P. Higher Judicial Services, 2016 and posted as Additional District & Sessions Judge, Kanpur Nagar.

No. 148/Admin.(Services)-2021—Pursuant to Government Notification/Appointment No. 714/II-4-2020, dated January 25, 2021, Smt. Mamta Singh, Additional Principal Judge, Family Court, Varanasi appointed in U.P. Higher Judicial Services, 2016 and posted as Additional District & Sessions Judge, Varanasi.

No. 149/Admin.(Services)-2021—Pursuant to Government Notification/Appointment No. 714/II-4-2020, dated January 25, 2021, Smt. Parul Srivastava, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Fatehpur appointed in U.P. Higher Judicial Services, 2016 and posted as Additional District & Sessions Judge, Fatehpur.

No. 150/Admin.(Services)-2021—Pursuant to Government Notification/Appointment No. 117/II-4-2021, dated February 19, 2021, Sri Shashi Bhushan Kumar Shandil, Advocate is appointed as Direct Recruit from the Bar to U.P. Higher Judicial Service U/r 22(1) of U.P.H.J.S. Rules, 1975 and posted as Additional District & Sessions Judge, Gorakhpur.

No. 151/Admin.(Services)-2021—Pursuant to Government Notification/Appointment No. 117/II-4-2021, dated February 19, 2021, Sri Vijay Kumar Himanshu, Advocate is appointed as Direct Recruit from the Bar to U.P. Higher Judicial Service U/r 22(1) of U.P.H.J.S. Rules, 1975 and posted as Additional District & Sessions Judge, Kushinagar at Padrauna.

No. 152/Admin.(Services)-2021—Pursuant to Government Notification/Appointment No. 714/II-4-2020, dated January 25, 2021, Sri Shashwata Pandey, Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Deoria appointed in U.P. Higher Judicial Services, 2018 and posted as Additional District & Sessions Judge, Deoria.

No. 153/Admin.(Services)-2021—Pursuant to Government Notification/Appointment No. 714/II-4-2020, dated January 25, 2021, Sri Pinku Kumar, Additional District & Sessions Judge, Shahjahanpur appointed in U.P. Higher Judicial Services, 2018 and posted as Additional District & Sessions Judge, Shahjahanpur.

No. 154/Admin.(Services)-2021—Pursuant to Government Notification/Appointment No. 714/II-4-2020, dated January 25, 2021, Sri Abhishek Kumar Bagaria, Advocate is appointed as Direct Recruit from the Bar to U.P. Higher Judicial Service U/r 22(1) of U.P.H.J.S. Rules, 1975 and posted as Additional District & Sessions Judge, Faizabad.

No. 155/Admin.(Services)-2021—Pursuant to Government Notification/Appointment No. 714/II-4-2020, dated January 25, 2021, Sri Utkarsh Yadav, Additional District & Sessions Judge, Bareilly appointed in U.P. Higher Judicial Services, 2018 and posted as Additional District & Sessions Judge, Bareilly.

No. 156/Admin.(Services)-2021—Pursuant to Government Notification/Appointment No. 714/II-4-2020, dated January 25, 2021, Sri Awanish Kumar, Advocate is appointed as Direct Recruit from the Bar to U.P. Higher Judicial Service U/r 22(1) of U.P.H.J.S. Rules, 1975 and posted as Additional District & Sessions Judge, Kanpur Nagar.

No. 157/Admin.(Services)-2021—Pursuant to Government Notification/Appointment No. 714/II-4-2020, dated January 25, 2021, Sri Sarad Kumar Tripathi, Advocate is appointed as Direct Recruit from the Bar to U.P. Higher Judicial Service U/r 22(1) of U.P.H.J.S. Rules, 1975 and posted as Additional District & Sessions Judge, Jaunpur.

No. 158/Admin.(Services)-2021—Pursuant to Government Notification/Appointment No. 714/II-4-2020, dated January 25, 2021, Smt. Sandeep Chauhan, Advocate is appointed as Direct Recruit from the Bar to U.P. Higher Judicial Service U/r 22(1) of U.P.H.J.S. Rules, 1975 and posted as Additional District & Sessions Judge, Meerut.

No. 159/Admin.(Services)-2021—Pursuant to Government Notification/Appointment No. 714/II-4-2020, dated January 25, 2021, Sri Gyanendra Singh-II, Additional District & Sessions Judge, Kanpur Nagar appointed in U.P. Higher Judicial Services, 2018 and posted as Additional District & Sessions Judge, Kanpur Nagar.

No. 160/Admin.(Services)-2021—Pursuant to Government Notification/Appointment No. 714/II-4-2020, dated January 25, 2021, Sri Jahendra Pal Singh, Additional District & Sessions Judge, Mathura appointed in U.P. Higher Judicial Services, 2018 and posted as Additional District & Sessions Judge, Mathura.

No. 161/Admin.(Services)-2021—Pursuant to Government Notification/Appointment No. 714/II-4-2020, dated January 25, 2021, Sri Anil Kumar-VI, Additional District & Sessions Judge, Hardoi appointed in U.P. Higher Judicial Services, 2018 and posted as Additional District & Sessions Judge, Hardoi.

No. 162/Admin.(Services)-2021—Pursuant to Government Notification/Appointment No. 714/II-4-2020, dated January 25, 2021, Smt. Alka Bharti, Additional District & Sessions Judge, Pilibhit appointed in U.P. Higher Judicial Services, 2018 and posted as Additional District & Sessions Judge, Pilibhit.

No. 163/Admin.(Services)-2021—Pursuant to Government Notification/Appointment No. 714/II-4-2020, dated January 25, 2021, Sri Saroj Kumar Yadav, Additional District & Sessions Judge, Ghazipur appointed in U.P. Higher Judicial Services, 2018 and posted as Additional District & Sessions Judge, Ghazipur.

No. 164/Admin.(Services)-2021—Pursuant to Government Notification/Appointment No. 714/II-4-2020, dated January 25, 2021, Sushri Ankita Shukla, Additional District & Sessions Judge, Barabanki appointed in U.P. Higher Judicial Services, 2018 and posted as Additional District & Sessions Judge, Barabanki.

No. 165/Admin.(Services)-2021—Pursuant to Government Notification/Appointment No. 714/II-4-2020, dated January 25, 2021, Sri Rakesh Kumar Gautam, Additional District & Sessions Judge, Muzaffarnagar appointed in U.P. Higher Judicial Services, 2018 and posted as Additional District & Sessions Judge, Muzaffarnagar.

No. 166/Admin.(Services)-2021—Pursuant to Government Notification/Appointment No. 117/II-4-2021, dated February 19, 2021, Sri Subash Chandra Tiwari, Advocate is appointed as Direct Recruit from the Bar to U.P. Higher Judicial Service U/r 22(1) of U.P.H.J.S. Rules, 1975 and posted as Additional District & Sessions Judge, Varanasi.

No. 167/Admin.(Services)-2021—Pursuant to Government Notification/Appointment No. 117/II-4-2021, dated February 19, 2021, Sushri Hemlata Tyagi, Advocate is appointed as Direct Recruit from the Bar to U.P. Higher Judicial Service U/r 22(1) of U.P.H.J.S. Rules, 1975 and posted as Additional District & Sessions Judge, Muzaffarnagar.

No. 168/Admin.(Services)-2021—Pursuant to Government Notification/Appointment No. 714/II-4-2020, dated January 25, 2021, Sri Vinay Tewari, Advocate is appointed as Direct Recruit from the Bar to U.P. Higher Judicial Service U/r 22(1) of U.P.H.J.S. Rules, 1975 and posted as Additional District & Sessions Judge, Fatehpur.

No. 169/Admin.(Services)-2021—Pursuant to Government Notification/Appointment No. 714/II-4-2020, dated January 25, 2021, Sri Ashok Kumar Singh, Advocate is appointed as Direct Recruit from the Bar to U.P. Higher Judicial Service U/r 22(1) of U.P.H.J.S. Rules, 1975 and posted as Additional District & Sessions Judge, Bulandshahar.

No. 170/Admin.(Services)-2021—Pursuant to Government Notification/Appointment No. 714/II-4-2020, dated January 25, 2021, Sri Mohd. Babar Khan, Advocate is appointed as Direct Recruit from the Bar to U.P. Higher Judicial Service U/r 22(1) of U.P.H.J.S. Rules, 1975 and posted as Additional District & Sessions Judge, Hardoi.

No. 171/Admin.(Services)-2021—Pursuant to Government Notification/Appointment No. 714/II-4-2020, dated January 25, 2021, Sri Nishant Shaiva, Advocate is appointed as Direct Recruit from the Bar to U.P. Higher Judicial Service U/r 22(1) of U.P.H.J.S. Rules, 1975 and posted as Additional District & Sessions Judge, Amroha.

No. 172/Admin.(Services)-2021—Pursuant to Government Notification/Appointment No. 714/II-4-2020, dated January 25, 2021, Sri Niraj Kumar Baranwal, Advocate is appointed as Direct Recruit from the Bar to U.P. Higher Judicial Service U/r 22(1) of U.P.H.J.S. Rules, 1975 and posted as Additional District & Sessions Judge, Pratapgarh.

No. 173/Admin.(Services)-2021—Pursuant to Government Notification/Appointment No. 714/II-4-2020, dated January 25, 2021, Sri Nitin Srivastava, Advocate is appointed as Direct Recruit from the Bar to U.P. Higher Judicial Service U/r 22(1) of U.P.H.J.S. Rules, 1975 and posted as Additional District & Sessions Judge, Gonda.

No. 174/Admin.(Services)-2021—Pursuant to Government Notification/Appointment No. 714/II-4-2020, dated January 25, 2021, Sri Gopal Ji, Advocate is appointed as Direct Recruit from the Bar to U.P. Higher Judicial Service U/r 22(1) of U.P.H.J.S. Rules, 1975 and posted as Additional District & Sessions Judge, Budaun.

No. 175/Admin.(Services)-2021—Pursuant to Government Notification/Appointment No. 714/II-4-2020, dated January 25, 2021, Smt. Shiva Pandey, Advocate is appointed as Direct Recruit from the Bar to U.P. Higher Judicial Service U/r 22(1) of U.P.H.J.S. Rules, 1975 and posted as Additional District & Sessions Judge, Faizabad.

No. 176/Admin.(Services)-2021—Pursuant to Government Notification/Appointment No. 714/II-4-2020, dated January 25, 2021, Smt. Ritika Tyagi, Advocate is appointed as Direct Recruit from the Bar to U.P. Higher Judicial Service U/r 22(1) of U.P.H.J.S. Rules, 1975 and posted as Additional District & Sessions Judge, Bulandshahar.

No. 177/Admin.(Services)-2021—Pursuant to Government Notification/Appointment No. 714/II-4-2020, dated January 25, 2021, Sri Saurabh Dwivedi, Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Shahjahanpur appointed in U.P. Higher Judicial Services, 2018 (Part-II) and posted as Additional District & Sessions Judge, Shahjahanpur.

No. 178/Admin.(Services)-2021—Pursuant to Government Notification/Appointment No. 714/II-4-2020, dated January 25, 2021, Sri Alok Kumar, Additional District & Sessions Judge, Azamgarh appointed in U.P. Higher Judicial Services, 2018 (Part-II) and posted as Additional District & Sessions Judge, Azamgarh.

No. 179/Admin.(Services)-2021—Pursuant to Government Notification/Appointment No. 714/II-4-2020, dated January 25, 2021, Sri Arvind Kumar Shukla, Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Bareilly appointed in U.P. Higher Judicial Services, 2018 (Part-II) and posted as Additional District & Sessions Judge, Bareilly.

No. 180/Admin.(Services)-2021—Pursuant to Government Notification/Appointment No. 714/II-4-2020, dated January 25, 2021, Sri Rohit Singh, Additional District & Sessions Judge, Kanpur Nagar appointed in U.P. Higher Judicial Services, 2018 (Part-II) and posted as Additional District & Sessions Judge, Kanpur Nagar.

No. 181/Admin.(Services)-2021—Pursuant to Government Notification/Appointment No. 714/II-4-2020, dated January 25, 2021, Smt. Tanu Bhatnagar, Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Kanpur Nagar appointed in U.P. Higher Judicial Services, 2018 (Part-II) and posted as Additional District & Sessions Judge, Kanpur Nagar.

No. 182/Admin.(Services)-2021—Pursuant to Government Notification/Appointment No. 714/II-4-2020, dated January 25, 2021, Sri Pradeep Kumar-III, Additional District & Sessions Judge, Agra appointed in U.P. Higher Judicial Services, 2018 (Part-II) and posted as Additional District & Sessions Judge, Agra.

No. 183/Admin.(Services)-2021—Pursuant to Government Notification/Appointment No. 714/II-4-2020, dated January 25, 2021, Sri Narendra Pal Rana, Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Aligarh appointed in U.P. Higher Judicial Services, 2018 (Part-II) and posted as Additional District & Sessions Judge, Aligarh.

No. 184/Admin.(Services)-2021—Pursuant to Government Notification/Appointment No. 714/II-4-2020, dated January 25, 2021, Sushri Archana Tewari, Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Auraiya appointed in U.P. Higher Judicial Services, 2018 (Part-II) and posted as Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Auraiya in the same court.

No. 185/Admin.(Services)-2021—Pursuant to Government Notification/Appointment No. 714/II-4-2020, dated January 25, 2021, Smt. Mitali Govind Rao, Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Baghpat appointed in U.P. Higher Judicial Services, 2018 (Part-II) and posted as Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Baghpat in the same court.

No. 186/Admin.(Services)-2021—Pursuant to Government Notification/Appointment No. 714/II-4-2020, dated January 25, 2021, Sri Ram Mani Pathak, Additional District & Sessions Judge, Ghaziabad appointed in U.P. Higher Judicial Services, 2018 (Part-II) and posted as Additional District & Sessions Judge, Ghaziabad.

No. 187/Admin.(Services)-2021—Pursuant to Government Notification/Appointment No. 117/II-4-2021, dated February 19, 2021, Sri Mohit Sharma, Advocate is appointed as Direct Recruit from the Bar to U.P. Higher Judicial Service U/r 22(1) of U.P.H.J.S. Rules, 1975 and posted as Additional District & Sessions Judge, Moradabad.

No. 188/Admin.(Services)-2021—Pursuant to Government Notification/Appointment No. 117/II-4-2021, dated February 19, 2021, Sri Anjani Kumar, Advocate is appointed as Direct Recruit from the Bar to U.P. Higher Judicial Service U/r 22(1) of U.P.H.J.S. Rules, 1975 and posted as Additional District & Sessions Judge, Allahabad.

No. 189/Admin.(Services)-2021—Pursuant to Government Notification/Appointment No. 714/II-4-2020, dated January 25, 2021, Smt. Renu Mishra, Advocate is appointed as Direct Recruit from the Bar to U.P. Higher Judicial Service U/r 22(1) of U.P.H.J.S. Rules, 1975 and posted as Additional District & Sessions Judge, Bulandshahar.

No. 190/Admin.(Services)-2021—Pursuant to Government Notification/Appointment No. 714/II-4-2020, dated January 25, 2021, Sri Uma Shankar Kahar, Advocate is appointed as Direct Recruit from the Bar to U.P. Higher Judicial Service U/r 22(1) of U.P.H.J.S. Rules, 1975 and posted as Additional District & Sessions Judge, Rae Bareli.

No. 191/Admin.(Services)-2021—Sri Amit Mishra, Civil Judge, Senior Division, Mainpuri to be Chief Judicial Magistrate, Mainpuri *vice* Smt. Tarannum Khan.

He is also appointed under section 11 (2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act no. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class for trying cases relating to Economic Offences at Mainpuri.

No. 192/Admin.(Services)-2021—Pursuant to Government Notification/Appointment No. 714/II-4-2020, dated January 25, 2021, on promotion to U.P. Higher Judicial Service U/r 22(1) of U.P.H.J.S. Rules, 1975, Smt. Tarannum Khan, Chief Judicial Magistrate, Mainpuri to be Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Mainpuri against the Fast Track Court created under the scheme of 14th Finance Commission *vice* Sri Tendra Pal.

No. 193/Admin.(Services)-2021—Sri Tendra Pal, Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Mainpuri to be Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Mainpuri for trying cases of crime against women *vice* Sri Awanish Gautam.

No. 194/Admin.(Services)-2021—Sri Awanish Gautam, Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Mainpuri to be Additional District & Sessions Judge, Mainpuri.

No. 195/Admin.(Services)-2021—Sri Deepak Kumar Mishra, Additional Civil Judge, Senior Division/Additional Chief Judicial Magistrate, Aligarh to be Secretary (Full Time), District Legal Services Authority, Aligarh *vice* Smt. Toolika Bandhu.

No. 196/Admin.(Services)-2021—Smt. Toolika Bandhu, Secretary (Full Time), District Legal Services Authority, Aligarh to be Additional Chief Judicial Magistrate, Aligarh *vice* Smt. Asifa Rana.

She is also appointed under section 11 (2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act no. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class for trying cases relating to Economic Offences at Aligarh.

No. 197/Admin.(Services)-2021—Smt. Asifa Rana, Additional Chief Judicial Magistrate, Aligarh

to be Civil Judge, Senior Division, Aligarh *vice* Smt. Ritu Nagar.

No. 198/Admin.(Services)-2021—Smt. Ritu Nagar, Civil Judge, Senior Division, Aligarh to be Chief Judicial Magistrate, Aligarh *vice* Smt. Karuna Singh.

No. 199/Admin.(Services)-2021—Smt. Karuna Singh, Chief Judicial Magistrate, Aligarh to be Judge Small Causes Court, Aligarh *vice* Smt. Seema Verma.

No. 200/Admin.(Services)-2021—Pursuant to Government Notification/Appointment No. 714/II-4-2020, dated January 25, 2021, on promotion to U.P. Higher Judicial Service U/r 22(1) of U.P.H.J.S. Rules, 1975, Smt. Seema Verma, Judge Small Causes Court, Aligarh to be Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Aligarh against the Fast Track Court created under the scheme of 14th Finance Commission *vice* Sri Anupam Singh.

No. 201/Admin.(Services)-2021—Sri Anupam Singh, Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Aligarh to be Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Aligarh for trying cases of crime against women *vice* Sri Narendra Pal Rana.

No. 202/Admin.(Services)-2021—Sri Yogesh Kumar Yadav, Additional Chief Judicial Magistrate, Agra to be Special Chief Judicial Magistrate, Agra *vice* Sri Sunder Pal.

No. 203/Admin.(Services)-2021—Sri Sunder Pal, Special Chief Judicial Magistrate, Agra to be Civil Judge, Senior Division, Agra *vice* Sri Prashant Kumar-II.

No. 204/Admin.(Services)-2021—Sri Prashant Kumar-II, Civil Judge, Senior Division, Agra to be Chief Judicial Magistrate, Agra *vice* Smt. Priti Singh-II.

He is also appointed under section 11 (2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act no. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class for trying cases relating to Economic Offences at Agra.

No. 205/Admin.(Services)-2021—Smt. Priti Singh-II, Chief Judicial Magistrate, Agra to be Judge Small Causes Court, Agra *vice* Sri Kush Kumar.

No. 206/Admin.(Services)-2021—Pursuant to Government Notification/Appointment No. 714/II-4-2020, dated January 25, 2021, on promotion to U.P. Higher Judicial Service U/r 22(1) of U.P.H.J.S. Rules, 1975, Sri Kush Kumar, Judge Small Causes Court, Agra to be Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Agra against the Fast Track Court created under the scheme of 14th Finance Commission *vice* Sri Lokesh Nagar.

No. 207/Admin.(Services)-2021—Sri Lokesh Nagar, Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Agra to be Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Agra for trying cases of crime against women *vice* Smt. Mirza Zeenat.

No. 208/Admin.(Services)-2021—Smt. Mirza Zeenat, Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Agra to be Additional District & Sessions Judge, Agra.

No. 209/Admin.(Services)-2021—Dr. Devendra Singh Fauzdar, Additional Chief Judicial Magistrate, Budaun to be Civil Judge, Senior Division, Budaun *vice* Smt. Sangeeta.

No. 210/Admin.(Services)-2021—Smt. Sangeeta, Civil Judge, Senior Division, Budaun to be Chief Judicial Magistrate, Budaun *vice* Sri Rajeev Kumar Singh.

She is also appointed under section 11 (2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act no. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class for trying cases relating to Economic Offences at Budaun.

No. 211/Admin.(Services)-2021—Pursuant to Government Notification/Appointment No. 714/II-4-2020, dated January 25, 2021, on promotion to U.P. Higher Judicial Service U/r 22(1) of U.P.H.J.S. Rules, 1975, Sri Rajeev Kumar Singh, Chief Judicial Magistrate, Budaun to be Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Budaun against the Fast Track Court created under the scheme of 14th Finance Commission *vice* Smt. Sarika Goyal.

No. 212/Admin.(Services)-2021—Smt. Sarika Goyal, Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Budaun to be Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Budaun for trying cases of crime against women *vice* Sri Rakesh Kumsar Tiwari.

No. 213/Admin.(Services)-2021—Sri Rakesh Kumar Tiwari, Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Budaun to be Additional District & Sessions Judge, Budaun.

No. 214/Admin.(Services)-2021—Sri Himanshu Kumar Singh, Additional Civil Judge, Senior Division/Additional Chief Judicial Magistrate, Meerut to be Secretary (Full Time), District Legal Services Authority, Meerut *vice* Sri Kuldeep Singh-I.

No. 215/Admin.(Services)-2021—Sri Kuldeep Singh-I, Secretary (Full Time), District Legal Services Authority, Meerut to be Additional Chief Judicial Magistrate, Meerut *vice* Sri Shyam Babu.

He is also appointed under section 11 (2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act no. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class for trying cases relating to Economic Offences at Meerut.

No. 216/Admin.(Services)-2021—Sri Shyam Babu, Additional Chief Judicial Magistrate, Meerut to be Special Chief Judicial Magistrate, Meerut *vice* Smt. Anju Kamboj.

No. 217/Admin.(Services)-2021—Smt. Anju Kamboj, Special Chief Judicial Magistrate, Meerut to be Civil Judge, Senior Division, Meerut *vice* Sri Hemant Kumar Kushwaha.

No. 218/Admin.(Services)-2021—Sri Hemant Kumar Kushwaha, Civil Judge, Senior Division, Meerut to be Chief Judicial Magistrate, Meerut *vice* Sri Vinay Prakash Singh.

No. 219/Admin.(Services)-2021—Sri Vinay Prakash Singh, Chief Judicial Magistrate, Meerut to be Judge Small Causes Court, Meerut *vice* Sri Ghanendra Kumar.

No. 220/Admin.(Services)-2021—Pursuant to Government Notification/Appointment No. 714/II-4-

2020, dated January 25, 2021, on promotion to U.P. Higher Judicial Service U/r 22(1) of U.P.H.J.S. Rules, 1975, Sri Ghanendra Kumar, Judge Small Causes Court, Meerut to be Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Meerut against the Fast Track Court created under the scheme of 14th Finance Commission *vice* Sri Ankit Kumar Mittal.

No. 221/Admin.(Services)-2021—Sri Ankit Kumar Mittal, Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Meerut to be Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Meerut for trying cases of crime against women *vice* Sri Surendra Kumar Rai.

No. 222/Admin.(Services)-2021—Sri Surendra Kumar Rai, Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Meerut to be Additional District & Sessions Judge, Meerut.

No. 223/Admin.(Services)-2021—Sri Birendr Singh, Additional Chief Judicial Magistrate, Hamirpur to be Civil Judge, Senior Division, Hamirpur *vice* Smt. Suneeta Sharma.

No. 224/Admin.(Services)-2021—Pursuant to Government Notification/Appointment No. 714/II-4-2020, dated January 25, 2021, on promotion to U.P. Higher Judicial Service U/r 22(1) of U.P.H.J.S. Rules, 1975, Smt. Suneeta Sharma, Civil Judge (Senior Division), Hamirpur to be Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Hamirpur for trying cases of crime against women in the vacant court.

No. 225/Admin.(Services)-2021—Sri Anil Kumar-VII, Chief Judicial Magistrate, Hamirpur is also appointed under section 11 (2) of the Code of

Criminal Procedure, 1973 (Act no. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class for trying cases relating to Economic Offences at Hamirpur.

No. 226/Admin.(Services)-2021—Pursuant to Government Notification/Appointment No. 117/II-4-2021, dated February 19, 2021, Sri Saurabh Goel, Advocate is appointed as Direct Recruit from the Bar to U.P. Higher Judicial Service U/r 22(1) of U.P.H.J.S. Rules, 1975, and posted as Additional District & Sessions Judge, Bulandshahar.

No. 227/Admin.(Services)-2021—Pursuant to Government Notification/Appointment No. 117/II-4-2021, dated February 19, 2021, Sri Kanishka Singh, Advocate is appointed as Direct Recruit from the Bar to U.P. Higher Judicial Service U/r 22(1) of U.P.H.J.S. Rules, 1975, and posted as Additional District & Sessions Judge, Agra.

No. 228/Admin.(Services)-2021—Pursuant to Government Notification/Appointment No. 117/II-4-2021, dated February 19, 2021, Sri Ramkripal, Advocate is appointed as Direct Recruit from the Bar to U.P. Higher Judicial Service U/r 22(1) of U.P.H.J.S. Rules, 1975, and posted as Additional District & Sessions Judge, Gorakhpur.

No. 229/Admin.(Services)-2021—Pursuant to Government Notification/Appointment No. 117/II-4-2021, dated February 19, 2021, Sri Dinesh Kumar Nagar, Advocate is appointed as Direct Recruit from the Bar to U.P. Higher Judicial Service U/r 22(1) of U.P.H.J.S. Rules, 1975, and posted as Additional District & Sessions Judge, Aligarh.

By order of the Court,
AJAI KUMAR SRIVASTAVA-I,
Registrar General.



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 24 अप्रैल, 2021 ई० (बैशाख 4, 1943 शक संवत्)

भाग 8

सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गांठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि।

कार्यालय, नगर पंचायत महावन, जनपद मथुरा

07 मार्च, 2020 ई०

सं० 176/न०प०म०-नगर पंचायत महावन जिला मथुरा में उ०प्र० नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298 (2) के शीर्षक (ए)(बी)(सी) तथा जे०डी० एवं धारा 212-क के अधीन अधिकारों का प्रयोग करके अपनी सीमा के बाहर 5 किलो मीटर की परिधि में भवन निर्माण उपविधि बनाई है। जिसका नगर पंचायत, महावन द्वारा दैनिक "अमर उजाला" समाचार-पत्र व दैनिक "दाता सन्देश" समाचार-पत्र के अंक दिनांक 09 मार्च, 2020 व 10 मार्च, 2021 को प्रकाशित की जा चुकी है। निर्धारित अवधि के अन्दर कोई आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है। अन्तिम कार्यवाही हेतु पुनः समाचार-पत्र दैनिक "हिन्दुस्तान" समाचार-पत्र के अंक दिनांक 20 नवम्बर, 2020 को अग्रिम कार्यवाही प्रकाशित किया जा चुका है तथा अन्तिम निर्णय के पश्चात् उक्त अधिनियम की धारा 301 के अन्तर्गत गजट में प्रकाशन हेतु भेजा जा रहा है और यह घोषित किया जा रहा है कि उक्त अधिनियम के गजट में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी समझी जायेगी।

भवन मानचित्र एवं प्रोजेक्शन उपविधि, 2020

1-संक्षिप्त नाम व विस्तार—(1) यह उपविधि भवन एवं प्रोजेक्शन उपविधि, 2020, नगर पंचायत महावन, जनपद मथुरा कहलायेगी।

(2) यह उपविधि उ०प्र० सरकार के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होगी।

(1) "भवन निर्माण" से तात्पर्य नगर पंचायत की सीमा के अन्दर होने वाले किसी भी भवन के नये निर्माण, पुनर्निर्माण वर्तमान भवन में परिवर्तन आदि से है तथा नगर पंचायत की सीमा के 5 कि०मी० बाहर तक लागू रहेगी।

(2) "प्रोजेक्शन" से तात्पर्य नगर पंचायत की सीमा के अन्दर सार्वजनिक एवं सरकारी सड़क या नाली के ऊपर छज्जा या चबूतरा आदि के निर्माण से है।

(3) "अधिशासी अधिकारी" से तात्पर्य नगर पंचायत में नियुक्त अधिशासी अधिकारी से है।

(4) "अध्यक्ष/प्रशासक" से तात्पर्य नगर पंचायत महावन से है।

3-(1)नगर पंचायत के क्षेत्राधिकार के किसी भवन या उसके किसी स्थान में निर्माण, पुनर्निर्माण या उसमें सारवान परिवर्तन अथवा बड़ा करने के अभिप्राय से अथवा छज्जा या चबूतरा बनाने के अभिप्राय से व कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व आवेदक को धारा 178(1) के अन्तर्गत नगर पंचायत को नोटिस देना होगा—

[क] प्रार्थी को स्वीकृति चाहने हेतु एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करना होगा जो कि रु० 2.00 के कोर्ट फीस स्टाम्प पेपर पर होगा।

[ख] इस प्रार्थना-पत्र के साथ प्रार्थी को दो मानचित्र प्रस्तुत करने होंगे। इन मानचित्रों में प्रस्तावित मकान का पूर्ण विवरण दिया जावेगा तथा यह भी दर्शाया जावेगा कि बनाने से पूर्व भूमि की क्या दशा है और भूमि का कितना क्षेत्रफल है।

[ग] प्रार्थी इन मानचित्र के साथ एक प्रमाण-पत्र इस आशय का प्रस्तुत करेगा कि यह भूमि जहाँ निर्माण कार्य करना चाहता है उसकी अपनी है, उसका ब्यौरा प्रस्तुत करेगा।

[घ] प्रार्थना-पत्र में निर्माण का विवरण देते हुए वह स्पष्ट करेगा कि वह मरम्मत या फेरबदल या ऊपरी भाग का पूर्ण नवनिर्माण करना चाहता है।

[च] जिस आर्किटेक्ट से नक्शा बनवायेगा, उसी से उस भवन का अनुमानित लागत का प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत करेगा।

[छ] नक्शा ग्राफ पेपर या ब्लू प्रिन्ट होंगे और दूसरा नक्शा जो नगर पंचायत, गोकुल में रखा जायेगा, वह क्लाथ पेपर पर होगा। अन्य दस्तावेज जैसा पालिका अपेक्षा करे, जमा किया जायेगा।

(2) धारा 3(1) के अन्तर्गत दिये गये नोटिस के साथ नगर पंचायत के अवशेष करों एवं निश्चित किया गया शुल्क की रसीद लगाना अनिवार्य है इसके बिना नोटिस वैध नहीं होगा।

(3) भवन के निर्माण के लिए स्वीकृत जारी न किये जाने की दशा में अदा किया गया शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।

(4) नगर पंचायत के क्षेत्राधिकार के अन्दर किसी भवन का निर्माण, पुनर्निर्माण या किसी भवन में या उसके किसी भाग में परिवर्तन या बढ़ाने या प्रोजेक्शन के नोटिस के साथ मानचित्र या सूचनायें दो प्रतियों में दी जायेगी, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि सार्वजनिक सड़कों तथा गलियों के सहनिकट दरवाजा या खिड़की खोलने के लिए मानचित्र की आवश्यकता नहीं है।

(5) प्रार्थना-पत्र के साथ प्रस्तावित स्थान का मानचित्र एक मीटर बराबर एक सेंटीमीटर के पैमाने से कम नहीं खींचा जायेगा और उसमें निम्नलिखित दर्शाया जायेगा।

[क] स्थल की सीमायें और उनकी माप सीमावर्ती भूमि जो उसके स्वामी की है।

[ख] भवन के सहनिकट की गलियों की चौड़ाई मोहल्लों का नाम, भवन की सीमायें प्रदर्शित होगी।

[ग] हर मंजिल का नक्शा शहर के सहनिकट खुलने वाले दरवाजे तथा खिड़कियों आदि की स्थिति।

[घ] नक्शों में नवीन निर्माण जिसके लिए प्रार्थना-पत्र दिया गया है लाल रंग से तथा पुराने भवन नीले रंग से दिखाया जायेगा।

[च] भवन के पास सरकारी बिजली की लाइन की क्षैतिज दूरी स्पष्ट रूप से मानचित्र पर अंकित की जायेगी।

4-निर्माण की स्वीकृति धारा 180 के अन्तर्गत की जायेगी। प्रत्येक स्वीकृति छः माह तक वैध होगी। किन्तु प्रार्थी द्वारा समय बढ़ाने के प्रार्थना-पत्र पर मूल स्वीकृति से दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

5-यदि निर्माण की स्वीकृति दी जाने के उपरान्त नगर पंचायत की किसी समय यह संतुष्टि हो जाये कि किसी गलत सूचना के आधार पर अनुमति ली गई है तो नगर पंचायत अनुमति रद्द कर सकती है। इस प्रकार की अनुमति के अन्तर्गत किया गया कोई कार्य बिना अनुमति किया माना जायेगा।

6-अध्यक्ष एवं अधिशासी अधिकारी तथा इनके द्वारा अधिकृत सदस्य या कर्मचारी किसी भी समय स्वीकृति चाहने वाले कार्यों का निरीक्षण कर सकता है।

7-भवन निर्माण हेतु दी गई स्वीकृति का प्रभाव धारा 184 के अनुसार होगा।

8-चलचित्र भवन बनाने की अनुमति जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दी गई अनुमति के पश्चात् प्रदान की जायेगी।

9-भवन निर्माण हेतु नक्शे में प्रोजेक्शन एवं चबूतरे का विवरण स्पष्ट अंकित किया जायेगा। प्रोजेक्शन की स्वीकृति निम्न प्रतिबन्धों के साथ दी जायेगी।

(1) भवन के ऊपरी मंजिल से बालकनी, बरामदा, छज्जा या अन्य प्रक्षेप ऐसी सड़क के ऊपर नहीं बनाया जायेगा जिसकी चौड़ाई 12 फिट से कम हो।

(2) किसी भी प्रक्षेप की चौड़ाई 3 फिट से अधिक नहीं होगी किन्तु सड़क के धरातल से प्रक्षेप की ऊँचाई 12 फिट से कम नहीं होगी।

(3) यदि प्रस्तावित प्रक्षेप से बिजली की लाइन तक पहुँच सकना सम्भव होगा तो प्रक्षेप की अनुमति न दी जायेगी। जब तक बिजली की लाइन में परिवर्तन न हो जाय।

(4) प्रत्येक प्रक्षेप के लिए शुल्क अलग-अलग लिया जायेगा। यदि एक ही भवन में दो या अधिक मंजिलों पर प्रक्षेप बनता है तो शुल्क अलग-अलग लिया जायेगा।

10-अधिनियम की धारा 186 के अन्तर्गत निर्माण को रोकने तथा निर्माण किये गये भवन को गिराने का अधिकार इन उपविधियों में किसी बात के होते हुए भी होगा।

(1) इन उपविधियों की किसी बात से यह न समझा जायेगा कि वह सब सड़कों व नालियों के ऊपर अतिक्रमण तथा प्रक्षेपों को हटाने के लिए नगरपालिका अधिनियम की धारा 211 के द्वारा नगर पंचायत को प्रदत्त किसी अधिकार को कम करती है, भले ही ऐसे अतिक्रमण तथा प्रक्षेपों के लिए स्वीकृति दे दी हो।

11—प्रस्तुत मानचित्र पर अधिशासी अधिकारी द्वारा धारा 180 एवं धारा 298 शीर्षक 'क' के उपशीर्षक (ज) में निहित प्रावधानों के सम्बन्ध में एवं निर्माण की रीति अभिवियों, चिमनियों, नालियों शौचालयों, संडासों, मूत्रालयों और मलकूप की स्थिति, वायु के निर्वाध संचरण को सुनिश्चित करने, आगे लगने की रोकथाम के लिये भवन के चारों ओर छोड़ा जाने वाला स्थान, मंजिलों की संख्या अन्य ऐसे विषय जिससे सतायन या स्वच्छता पर प्रभाव पड़ता हो, भवन के बाहर ग्रीन एरिया के अनुपाल, रेनवाटर, हार्वेस्टिंग इत्यादि के सम्बन्ध में यथाशक्य विचार किया जायेगा। विशेष ध्यान रखा जायेगा कि भवन में आगन या वाटिका के लिए कुछ भूमि खाली छोड़ों लाये खाली भूमि के क्षेत्र का निर्धारण मौके की स्थिति को ध्यान में रखकर अधिशासी अधिकारी द्वारा किया जायेगा। तदुपरान्त मानचित्र हेतु स्वीकृत अधिशासी अधिकारी की रिपोर्ट पर अध्यक्ष द्वारा प्रदान की जायेगी।

12—यदि मानचित्र अस्वीकृत किया जाता है तो पालिका द्वारा कारणों को दर्शाते हुए आपत्तियों को दुरुस्त करने की अपेक्षा की जा सकती है। तदुपरान्त पुनः आवेदन किया जा सकता है। इस हेतु कोई आवेदन शुल्क नहीं लिया जायेगा।

13—आर्किटेक्ट के लिए रु0 10,000.00 (दस हजार रुपया) वार्षिक शुल्क लेकर लाईसेन्स दिया जा सकता है। लाईसेन्स की अवधि 1 अप्रैल से 31 मार्च होगी। लाईसेन्स जारी होने के उपरान्त अन्य आर्किटेक्ट से बनाया हुआ मानचित्र अवैध करार दिया जा सकता है—

(1) यदि कोई लाईसेन्स शुदा आर्किटेक्ट नहीं है तो नक्शा किसी भी योग्यता प्राप्त आर्किटेक्ट से बनवाया जा सकता है।

(2) आवेदक के मानचित्र को तैयार कराने का दायित्व नगर पंचायत का नहीं होगा।

14—किसी सड़क या भूमि के ऊपर अपनी जगह में कोई दरवाजा, खिड़की, नाली अनुमति लेकर ही बनायी जायेगी।

15—भवन का निर्माण किसी भी कारण से नगर पंचायत की नाली/नाले/सड़क को आच्छादित नहीं करेगा।

(1) भवन के सामने के नाले को यथासम्भव लोहे का चलायमान जाल डालकर आवागमन योग्य किया जा सकता है, ताकि नाले/नालियों की सफाई में कोई बाधा न उत्पन्न हो। नाले/नालियों/सड़क के आच्छादन की स्थिति में प्रथम अपराध के लिये रु0 2,000.00 एवं अग्रेतर उल्लंघन की स्थिति में रु0 200.00 प्रतिदिन का अर्थदण्ड आरोपित किया जायेगा।

(2) कोई भी भवन निर्माण सरकारी सड़क से या नाली के बाहरी किनारे से 2 फुट भूमि को छोड़कर किया जाएगा तथा गलियों में 1 फुट भूमि छोड़कर निर्माण किया जायेगा।

16—भवन निर्माण कार्य आरम्भ करने पर भवन स्वामी द्वारा नगर पंचायत को यह सूचना दी जायेगी कि कार्य आरम्भ कर दिया गया है। निर्माण कार्य पूरा किये जाने का प्रमाण-पत्र अवश्य प्रस्तुत करना होगा। यह प्रस्तावित भवन तब तक पूर्णरूपेण या अंशतया अध्यासित नहीं किया जायेगा, जब तक कि पालिका इस आशय का प्रमाण-पत्र जारी न कर दे।

17—संदर्भित भवन का निर्माण अनुज्ञापित तकनीकी व्यक्ति के पर्यवेक्षण में कराया जायेगा। निर्माण में प्रयुक्त सामग्री की गुणवत्ता एवं विशिष्टियों के लिये आवेदक पूर्णरूपेण उत्तरदायी होगा।

18—कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक या निजी सड़क या गली में पालिका की स्वीकृति के बिना नाली, फर्श का निर्माण नहीं करेगा और न ही कोई फर्श या नाली तोड़ेगा या उसमें परिवर्तन करेगा। उल्लंघन की स्थिति में प्रथम अपराध के लिये रु0 200.00 प्रतिदिन का अर्थदण्ड आरोपित किया जायेगा।

19—कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक या निजी सड़क या गली में या किनारे पालिका की स्वीकृति के बिना भवन निर्माण सामग्री का भण्डारण नहीं करेगा। इसके लिए नियमानुसार कार्य आरम्भ करने से पूर्व अधिशासी अधिकारी को प्रार्थना-पत्र देकर स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। स्वीकृति प्रदान करने के उपरान्त भी यदि पालिका को यह विश्वास करने का कारण हो कि उक्त भवन निर्माण सामग्री का भण्डारण से यातायात या सार्वजनिक आवागमन में कोई बाधा उत्पन्न हो रही है तो दी गई अनुमति समाप्त की जा सकती है।

20—भवन निर्माणकर्ता कार्य समाप्त कर सड़क पर पड़ा मैटेरियल/मलवा आदि साफ कराएगा और गद्दहे आदि भरवाएगा। कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक या निजी सड़क या गली/नाला/नाली में या किनारे पालिका की स्वीकृति के बिना भवन के मलबे का भण्डारण नहीं करेगा। यदि पालिका को यह विश्वास करने का कारण हो कि उक्त भवन के मलबे के सड़क/नाली/नाले में भण्डारण से यातायात या सार्वजनिक आवागमन/जल निकासी में कोई बाधा उत्पन्न हो रही है तो पालिका उसे 24 घण्टे में हटाने की अपेक्षा व्यक्ति से कर सकती है और उल्लंघन की स्थिति में अर्थदण्ड आरोपित कर सकती है।

21—यदि कोई निर्माण स्वीकृति प्राप्त किये बिना किया जाता है, तो अधिशासी अधिकारी द्वारा स्वतः संज्ञान लेने पर या आवेदक द्वारा निर्माण के पश्चात् स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने पर यदि वह निर्माण इस उपविधि के अन्तर्गत दी गई शर्तों के अनुरूप बनाया गया है तो उसको स्वीकृति भी दी जा सकती है। ऐसी स्वीकृति के लिए निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त 20 गुना अर्थदण्ड अधिशासी अधिकारी द्वारा अपने विवेकानुसार किया जा सकता है।

22—नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 212(क) के प्राविधानों के अन्तर्गत नगर पंचायत की सीमा के बाहर से 5 कि०मी० की दूरी तक समस्त भवन, मार्ग या नाली के निर्माण इस उपविधि से नियंत्रित या विनियमित होंगे अर्थात् यह उपविधि सीमा के बाहर 5 कि०मी० की दूरी तक प्रभावी होगी।

23—स्वीकृति के लिए निम्नलिखित शुल्क अग्रिम देय होगा।

अनुसूची

क्र० स०	स्वीकृत योग्य मदें	दरें
1	2	3
		रु०
1	मानचित्र स्वीकृत हेतु प्रार्थना-पत्र का शुल्क	500.00
2	आवासीय भवन/कॉलोनी प्लान निर्माण/पुनः निर्माण अथवा परिवर्तन के लिए दर	50.00 प्रति वर्ग मीटर
3	व्यवसायिक एवं आवासीय तथा केवल व्यवसायिक/वाणिज्यिक/व्यापारिक प्रतिष्ठानों के भवन/कॉलोनी प्लान के निर्माण/पुनः निर्माण अथवा परिवर्तन के लिए दर	200.00 प्रति वर्ग मीटर
4	बहुमंजिला आवासीय बिल्डिंग काम्प्लेक्स	500.00 प्रति वर्ग मीटर
5	बहुमंजिला व्यवसायिक बिल्डिंग काम्प्लेक्स	1,000.00 प्रति वर्ग मीटर
6	खिड़की, दरवाजे, नाली आदि के निर्माण के लिए	500.00 प्रति
7	अवधि बढ़ाये जाने के लिए प्रार्थना-पत्र का शुल्क	500.00
8	छज्जा, बालकनी, चबूतरा के लिए शुल्क	200.00 वर्ग मीटर
9	निर्माण सामग्री सार्वजनिक सड़क के किनारे रखने हेतु शुल्क (प्रति 50 वर्ग फिट पर)	प्रथम 2 दिन निःशुल्क अतिरिक्त प्रति 10 दिन रु० 1,000.00।
10	सड़क व नालियों में भवन का जमा मलवा नगर पंचायत के कर्मियों द्वारा हटाने हेतु शुल्क	5,000.00 एकमुश्त।
11	मात्र दीवार निर्मित कराने हेतु	25.00 प्रति मीटर।

नोट—(1) प्रत्येक मंजिल का शुल्क अलग-अलग लिया जायेगा।

(2) दरों में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी होगी जो वित्तीय वर्ष के प्रथम अप्रैल से लागू होगी। इन शुल्क बढ़ोत्तरी को पांच वर्ष पश्चात् लागू रखने के लिए नगर पंचायत पुनः विचार कर सकती है।

(3) यदि कोई दुकान, रेस्टोरेन्ट या गोदाम किसी सामाजिक या धार्मिक संस्था के द्वारा बनायी जा रही है तो उसकी फीस, उपरोक्त दरों की 1/2 होगी। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर, धर्मशाला या अन्य कोई पूजा गृह जिसमें किराये आदि की व्यवस्था न हो वह निःशुल्क होगा।

(4) भूमिगत तल की अनुमति सामान्यतया नहीं दी जायेगी। अनुमति विशेष परिस्थिति में प्रस्तावित भवन के आस-पास के भवनों एवं सार्वजनिक सड़क/नाली की स्थिति को ध्यान में रखकर उपरोक्त भवन श्रेणियों की दरों के 4 गुना दर पर ही दी सकेगी।

दण्ड

उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 299 (1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके नगर पंचायत, महावन निर्देश देती है कि इस उपविधि की किसी भी धारा का उल्लंघन करने पर रु० 1,000.00 तक अर्थदण्ड दिया जायेगा। यदि अपराध प्रथम दोष होने के दिनांक से निरन्तर जारी रहा हो तो रु० 25.00 प्रतिदिन अतिरिक्त अर्थदण्ड दिया जायेगा।

हाजी चुन्नु,
अध्यक्ष,
नगर पंचायत, महावन, मथुरा।

सूचना

सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स सनलाइट राइस इन्डस्ट्रीज, विलेज मुड़िया हाफिज, धौराटांडा, तहसील एण्ड डिस्ट्रिक्ट बरेली, उ0प्र0, पिनकोड-243202 (पंजीकरण संख्या BAR/0007651) फर्म में कुल 9 साझेदार मो0 निजाम, मो0 अफाल, शादाब अहमद, गुल्फाम अहमद, मो0 आसिफ, अब्दुल वकील, लईक अहमद, श्रीमती दरख्शा बी, श्रीमती तरन्नुम निगार थे। फर्म के तीन साझेदार मो0 अब्दुल वकील, श्रीमती दरख्शा बी, श्रीमती तरन्नुम निगार फर्म से अपनी स्वेच्छा से दिनांक 17 अप्रैल, 2021 को अवकाश ग्रहण करके अलग हो गये हैं। अवकाश ग्रहण साझेदारों का सारा हिसाब-किताब चुकता हो गया है। किसी प्रकार का साझेदारों का फर्म पर या साझेदारों पर तथा फर्म का साझेदारों पर कोई लेन-देन बकाया नहीं रह गया है, अब फर्म में कुल 6 साझेदार मो0 निजाम, मो0 अफाल, शादाब अहमद, गुल्फाम अहमद, मो0 आसिफ, लईक अहमद हैं तथा फर्म में एवं साझेदारों में किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें मेरे द्वारा पूरी कर ली गयी हैं।

मो0 निजाम,
साझेदार,
मेसर्स सनलाइट राइस इन्डस्ट्रीज,
बरेली (उ0प्र0)।

सूचना

सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स एस0एस0 राइस इन्डस्ट्रीज, विलेज मुड़िया हाफिज, धौराटांडा, बरेली, उ0प्र0, पिनकोड-243202 (पंजीकरण संख्या BAR/0005864) फर्म में कुल 3 साझेदार शफीक अहमद, मो0 परवेज, मो0 नईम थे, साझेदारों की रजामन्दी से दिनांक 08 अप्रैल, 2021 को फर्म में तीन नये साझेदार अब्दुल माजिद, इफतेखार अहमद, फहीम अहमद शामिल किये गये हैं तथा फर्म के एक साझेदार मो0 नईम फर्म से अपनी स्वेच्छा से दिनांक 08 अप्रैल, 2021 को अवकाश ग्रहण करके अलग हो गये हैं। अवकाश ग्रहण साझेदार का सारा हिसाब-किताब चुकता हो गया है। किसी प्रकार का साझेदार का फर्म पर या साझेदारों पर तथा फर्म का साझेदार पर कोई लेन-देन बकाया नहीं रह गया है, अब फर्म में कुल 5 साझेदार शफीक अहमद, मो0 परवेज, अब्दुल माजिद, इफतेखार अहमद, फहीम अहमद हैं तथा

फर्म में एवं साझेदारों में किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें मेरे द्वारा पूरी कर ली गयी हैं।

शफीक अहमद,
साझेदार,
मेसर्स एस0एस0 राइस इन्डस्ट्रीज,
बरेली (उ0प्र0)।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पार्टनरशिप फर्म मेसर्स गायत्री बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स पता 75, केवलरी रोड, कैण्ट झांसी (उ0प्र0) फर्म संख्या J-4534, दिनांक 05 मई, 2012 रजिस्टर्ड फर्म से साझेदार श्री जगदीश नारायण अग्रवाल, श्रीमती स्वाति अग्रवाल एवं श्री विनोद कुमार गुप्ता, दिनांक 15 जून, 2020 को सेवानिवृत्त हो गये हैं। अब इस फर्म में श्रीमती शालनी वर्मा, श्री विशाल वर्मा एवं श्री मयंक गर्ग साझेदार हैं।

मयंक गर्ग,
मे0 गायत्री बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स,
पता 75, केवलरी रोड, कैण्ट,
झांसी (उ0प्र0)।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पार्टनरशिप फर्म मेसर्स ए0सी0 ज्वैलर्स पता 156/1 ए, बी, जिला पंचायत आफिस के सामने कचहरी रोड, सदर बाजार झांसी फर्म संख्या जे-6616, दिनांक 21 फरवरी, 2017 रजिस्टर्ड फर्म से साझेदार श्री विनोद कुमार गुप्ता, दिनांक 30 सितम्बर, 2020 को सेवानिवृत्त हो गये हैं।

अब इस फर्म में श्री अखिलेश चन्द्र गुप्ता एवं श्रीमती नमिता गुप्ता साझेदार हैं।

अखिलेश चन्द्र गुप्ता।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स फौजी सिक्वोर्टी सर्विस मो0 विकास नगर म0नं0 56/168 लाईनपार, मुरादाबाद (यू0पी0) नामक फर्म में दिनांक 07 अप्रैल, 2021 को पार्टनर की आपसी सहमति से दिनांक 07 अप्रैल, 2021 को फर्म का नाम व पता

परिवर्तित करके मेसर्स बी०पी० फौजी सिक्वोर्टी सर्विसेज, मौ० विकास नगर म०नं० 15/51/194 के०जी०के० कालिज फील्ड के पीछे लाईनपार, मुरादाबाद कर लिया है, फर्म का नाम व पता परिवर्तित करने से फर्म के क्रियाकलापों पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। फर्म का नाम अब मेसर्स बी०पी० फौजी सिक्वोर्टी सर्विसेज, मौ० विकास नगर म०नं० 15/51/194 के०जी०के० कालिज फील्ड के पीछे लाईनपार, मुरादाबाद होगा।

भीमपाल सिंह,
मेसर्स फौजी सिक्वोर्टी सर्विस,
मौ० विकास नगर म०नं० 56/168,
लाईनपार, मुरादाबाद (यू०पी०)।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री सुशील कुमार श्रीवास्तव, आयु लगभग 73 वर्ष पुत्र स्व० ओंकार सहाय श्रीवास्तव, निवासी 99, नजरबाग, लखनऊ साझेदार मेसर्स हिन्द सर्विसेन्टर, 560/63, कृष्णा

नगर, कि०मी० 10, कानपुर रोड, लखनऊ का निधन 08 दिसम्बर, 2012 की रात्रि 11.30 बजे किसी अनजानी कार के टक्कर मारने से रेलवे मनोरंजन केन्द्र, हजरतगंज, लखनऊ के सामने हो गया है। उपरोक्त फर्म में एक साझेदार का पद 09 दिसम्बर, 2012 से रिक्त होने के कारण उपरोक्त मृतक साझेदार की पत्नी श्रीमती चित्रलेखा वर्मा, निवासी 99, नजरबाग, लखनऊ फर्म मेसर्स हिन्द सर्विसेन्टर के साझेदारी व्यापार में बतौर साझेदार 09 दिसम्बर, 2012 से सम्मिलित हो गयी हैं।

एतद्द्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उक्त सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

सिद्धार्थ श्रीवास्तव,
साझेदार मेसर्स हिन्द सर्विसेन्टर,
560/63, कृष्णा नगर, कि०मी० 10,
कानपुर रोड, लखनऊ।



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, २४ अप्रैल, २०२१ ई० (बैशाख ४, १९४३ शक संवत्)

स्टोर्स-पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र

OFFICE OF THE SUPERINTENDING ENGINEER,
CENTRAL EQUIPMENT & STORES PROCUREMENT, ORGANISATION-1,
IRRIGATION DEPARTMENT UTTAR PRADESH, LUCKNOW
e-TENDER NOTICE No. EQ-1234/2020-21

Lucknow : dated March 03, 2021

On behalf of the Honourable Governor of Uttar Pradesh online e-bid for Items as per description in the table for irrigation purposes, are invited simultaneously in the three parts namely : (i) Earnest Money Bid (ii) Technical Bid (iii) Price Bid, by the undersigned, only from ISO : 9001& ISO 14001 certified original manufacturers registered with Director of Industries of the State/N.S.I.C./ Ministry of Industries, Government of India, as original manufacturer of Horizontal Split Casing Centrifugal Pumps on firm & fixed prices. Details of eligibility, qualification technical conditions & specification and method of submission of bids etc. shall be available in the bid document online on the U. P. Government e-procurement website : <http://etender.up.nic.in>. The undersigned reserves the right to cancel any or all the e-bids/annul the bidding process without assigning any reason. In case of any variation in English and Hindi version of this tender notice, English version shall prevail. The Details of different items & activities are as follows-

- (a) 1. Composite work of Manufacture and supply of HSC centrifugal pumps along with supply of Suitable 11 KV, HT Squirrel Cage Induction Motors, suitable 11 KV HT switch gear Panels Set and suitable suction and delivery side Valves, with accessories for allied equipment, all equipment with SCADA compatibility, includes Erection Commissioning and Testing of all equipment at Narayanpur Pump Canal, Chunar, District Mirzapur As per details given below.
- (i) Manufacture & Supply of HSC Centrifugal Pump, 150 Cusec capacity and 27.0 Meter Head with all accessories required for the complete Erection and Commissioning of the pumpsets. 14 Nos.
- (ii) Supply of suitable 11 KV, HT Squirrel Cage Induction Motor for above pumps. 14 Nos.

(iii) Supply of suitable 11KV, HT Switch Gear Panel Set (VCB Type) Indoor Type, Draw-Out Type, Three Phase for above Pumps.	01 Set
(iv) Supply of suitable CS Reflex Valve, CI Butterfly Valve and CI Sluice Valve for above system	14 Nos. of each Type
(v) Erection Commissioning and Testing of all the above equipment at Narayanpur Pump Canal (District Mirzapur), Lift Irrigation Construction Division, Varanasi, Irrigation Department, U. P.	01 Job
(b) Date & time for availability of the bid document on website.	11.03.2021 from 17.00 Hours onwards.
(c) Pre-bid meeting	19.03.2021 from 12.00 Hours.
(d) Period of online bid submission in accordance to bid document.	From 23.03.2021, 11.00 Hours Upto 05.04.2021 up to 17.00 Hours.
(e) Hard copy of original Bid Document fee, Bid Security & Industries Registration Certificate for exemption from EMD and other supporting documents as per bid document to be deposited in the office concerned.	06.04.2021 Upto 14.00 Hours.
(f) Online opening date & time of Part "A" i.e. Earnest Money Bid.	06.04.2021 at 15.00 Hours
(g) Online opening date & time of Part "B" i.e. Technical Bid.	09.04.2021 at 15.00 Hours
(h) Online opening date & time of Part "C" i.e. Financial Bid.	19.04.2021 at 15.00 Hours
(i) Venue of opening of bid and Pre-bid meeting	Office of The Superintending Engineer, Central Equipment & Stores Procurement Organisation-1, I & WRD, U. P. Ganga Sinchai Bhawan, Telibagh, Lucknow (U. P.)- 226025 Ph. No. 0522 2441281.
(j) Bid document fee.	Rs. 41,300.00 (Rupees Forty One Thousand Three Hundred only).
(k) Bid Security (Earnest Money Deposit).	Rs. 30,00,500.00 (Rupees Thirty Lac Five Hundred) only.
(l) Work Duration.	06 months.

NOTE:-

- (1) This Notice is also available on Information & Public Relation Department website (<http://information.up.nic.in>) and Irrigation Department website (<http://idup.gov.in>).
- (2) Amendments, if any, regarding this notice shall only be available at U. P. Government e-procurement website (<http://etender.up.nic.in>)
- (3) In case the date of opening of bids is declared a holiday then the e-bids shall be opened on the next working day at the same time.

(Sd.) ILLEGIBLE.
Superintending Engineer.

List of spare parts of machines

E/M Division P.W.D. Varanasi

(T.M.B. Parts)

Sl.No.	Name of Article	Unit (Qty.)	Rate	Make & Model
1	2	3	4	5
1	Steering shaft	1 No.	152.00	Ford V-8 Truck spares
2	Oil pressure gauge	1 No.	35.00	" "
3	Master cylinder kit	1 Kit	25.00	" "
4	Connecting rod bearing	1 Set	58.00	" "
5	Connecting rod bearing	1 Set	90.00	" "
6	Crank pulley	8 Nos.	35.00	" "
7	Dynamo pulley	2 Nos.	28.00	" "
8	Holder for bulb	5 Nos.	8.00	" "
9	Bulb tail light	2 Nos.	2.00	" "
10	Greage retainer rear wheel	3 Nos.	15.00	" "
11	Greage retainer rear wheel	4 Nos.	15.00	" "
12	Greage retainer rear wheel	2 Nos.	14.00	" "
13	Front wheel bearing	1 No.	125.00	" "
14	Crown Pinion	1 No.	650.00	" "
15	Brake lining (Front)	1 Set	45.00	" "
16	Brake lining (Rear)	1 Set	55.00	" "
17	Main bearing	1 No.	42.00	" "
18	Second gear pinion	1 No.	187.00	" "
19	Hose pipe ¾"	4 Nos.	14.00	" "
20	Hose pipe ¾"	1No.	14.00	" "
21	Hose pipe ¾"	4 Nos.	14.00	" "
22	Universla Yoke	1 No.	226.00	" "
23	Front Hub bolt & Nut (L)	1 No.	10.00	" "
24	Distributer cap 48 (M)	3 Nos.	20.00	" "
25	Steering sector shaft	1 No.	29.00	" "
26	Diaphrame washer	2 Nos.	5.00	" "
27	Element Filter	26 Nos.	26.00	Agrind Moore
28	Element filter	47 Nos.	21.00	" "
29	Seal water pump	6 Nos.	32.00	" "
30	Shaft water pump	9 Nos.	78.00	" "
31	Steering bearing	2 Nos.	73.00	Ford V-8 Truck spares
32	Piston Ring	1 Set	97.00	" "
33	Value inlet	8 Nos.	22.00	Agrind Moore
34	Bearing primary gear box	1 No.	40.00	" "

1	2	3	4	5
35	Dust Seal front role	4 Nos.	105.00	Agrind Moore
36	Lining Brake	20 Nos.	72.00	" "
37	Piston Ring	16 Nos.	146.00	Ford V-8 Truck spares
38	Bulb Head light	6 Nos.	9.00	Agrind Moore
39	Master cylinder kit	10 Nos.	43.00	" "
40	Rod Pael	6 Nos.	45.00	" "
41	Bulb side lamp	4 Nos.	3.00	" "
42	Connecting rod assembly	3 Nos.	708.00	Roller Avellind Berford Ruston
43	Head piece casting	2 Nos.	310.00	Agrind Moore
44	Inlet value spring	12 Nos.	41.00	Roller Avellind Berford Ruston
45	Exhaust value spring	10 Nos.	28.00	" "
46	Feed pump plunger	2 Nos.	500.00	" "
47	Main & Connecting rod bearing	1 Set	508.00	Perkin-4 engine
48	Clutch plate assembly	2 Nos.	434.00	" "
49	Connecting rod assembly	1 No.	208.00	" "
50	Main bearing	1 Set	125.00	Jeep Parts
51	Shackle bolt with Nut	1 No.	12.00	" "
52	Distributor Cap	2 Nos.	12.00	" "
53	Water pump repair kit	2 Nos.	119.00	" "
54	King pin bearing	2 Nos.	320.00	" "
55	Front wheel hub	1 No.	64.00	" "
56	Front wheel hub	1 No.	121.00	" "
57	Bell crank repair kit	1 No.	58.00	" "
58	Shackle pin bush rear	3 Nos.	2.00	" "
59	Shackle pin bush (Front)	6 Nos.	8.00	" "
60	Differential crown tail pinion	2 Set	487.00	" "
61	Intermediate gear	2 Nos.	622.00	" "
62	Synchroniser ring	1 No.	40.00	" "
63	Front Engine foundation	4 Nos.	7.00	" "
64	Horn cut out	2 Nos.	20.00	" "
65	Gear counter shaft	1 No.	642.00	" "
66	Dynamo pulley	1 No.	61.00	" "
67	Clutch hub	1 No.	15.00	" "
68	Propellar shaft yoke (F)	1 No.	57.00	" "
69	Propellar shaft Teeth (R)	2 Nos.	103.00	" "

1	2	3	4	5
70	Rear spring Main leaf	2 Nos.	34.00	Jeep Parts
71	Hot patch	30 Nos.	6.00	Misc Parts
72	Foot valve washer	3 Nos.	3.00	" "
73	G. l. Bend with shocket	3 Nos.	15.00	" "
74	Steel tie (pipe)	2 Nos.	3.00	" "
75	Wire rope faster	8 Nos.	3.00	" "
76	Bell crank kit	1 No.	81.00	" "
77	Crank oil seal	4 Nos.	75.00	Agrind Moore
78	Piston with Pin	16 Nos.	519.00	" "
79	Mobile oil filter	2 Nos.	46.00	Bed ford
80	Radiator Hose pipe	1 No.	26.00	Tata
81	Mobile oil filter	7 Nos.	59.00	Tata
82	Steering bearing	2 Nos.	24.00	Ford V-8 Truck spares
83	Connecting rod bearing	1 No.	220.00	" "
84	Self copper bush	3 Set	28.00	Jeep Parts

शिवशंकर,
अधिशायी अभियन्ता,
वि० यॉ० खण्ड, लो०नि०वि०,
वाराणसी ।